www.dhyeyaias.com

अप्रैल 2020 | अंक 01

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1. प्रवासी श्रमिकों पर पलायन की विपदा
   कोविड-19
2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर उठता प्रश्नचिन्ह : एक विश्लेषण
3. लॉकडाउन में सरकार द्वारा दी गई राहत
4. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020
5. भारत-जर्मनी संबंध एक नये दौर में
6. कोरोना वायरस का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
7. पी.एम. केयर्स फंड : कोरोना महामारी से लड़ने की एक पहल

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

Help us to help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित

क्या करें और क्या ना करें

क्या करें

- बार-बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हों, तब भी अपने हाथों को अल्कोहल - आधारित हैंड वॉश या साबुन और पानी से साफ करें
- छींकते और खांसते समय, अपना मुंह व नाक टिशू/रूमाल से ढकें
- प्रयोग के तुरंत बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें
- अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढंकने के लिए मास्क/कपड़े का प्रयोग करें
- अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं,तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24X7 हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर कॉल करें
- भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें

क्या न करें

- यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो,तो किसी के साथ संपर्क में ना आयें
- अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छूयें
- सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें

हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के 24X7 हेल्पलाइन नं.
+91-11-2397 8046 पर कॉल करें या
ई-मेल करें **ncov2019@gmail.com**

mohfw.gov.in | @MoHFWIndia | @MoHFW_INDIA | mohfwindia

ध्येय IAS
एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect7

एक परिचय

कुरबान अली

प्रधान संपादक

ध्येय IAS

मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 'PERFECT 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय टीम को मेरी शुभकामनाएँ। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा प्रकाशित 'PERFECT 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है। इसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

ताज़ा तरीन जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.dhyeyaias.com और यूट्यूब चैनल देखें।

आशुतोष सिंह

प्रबंध सम्पादक

ध्येय IAS

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'PERFECT 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'PERFECT 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'PERFECT 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'PERFECT 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

आपके द्वारा दिये गए सुझाव और माँग को ध्यान मे रखते हुए हम रंगों के इस त्यौहार होली के सुअवसर पर 'PERFECT 7' के रंगीन संस्करण की शुरूआत कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस नवीन संस्करण से आप सभी छात्रों में नवीन ऊर्जा का संचार हो, साथ ही ध्येय IAS से आपका प्रेम एवं स्नेह सदैव बना रहे।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येय IAS ®
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	•विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	•क्यू.एच.खान
मुख्य संपादक	•कुरबान अली
प्रबंध संपादक	•आशुतोष सिंह
संपादक	•जीत सिंह •अवनीश पाण्डेय •ओमवीर सिंह चौधरी •रजत झिंगन •शशिधर मिश्रा
संपादकीय सहयोग	•प्रो. आर. कुमार •बाघेन्द्र प्रताप सिंह
मुख्य लेखक	•अजय सिंह •अहमद अली •गिर्राज सिंह तोमर •धर्मेन्द्र मिश्रा •रमा शंकर निषाद
लेखक	•अशरफ अली •विवेक शुक्ला •स्वाति यादव •हरिओम •अंशु •सौम्या उपाध्याय
मुख्य समीक्षक	•रंजीत सिंह •रामयश अग्निहोत्री •राजहंस सिंह
त्रुटि सुधारक	•संजन गौतम
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	•गुफरान खान •राहुल कुमार
प्रारूपक	•विपिन सिंह •रमेश कुमार, •कृष्णा कुमार •निखिल कुमार
टंकण	•कृष्णाकान्त मण्डल
लेख सहयोग	•मृत्युंजय त्रिपाठी •बाघेन्द्र प्रताप सिंह •स्नेहा तिवारी
कार्यालय सहायक	•हरीराम •संदीप •राजू यादव •शुभम •अरुण त्रिपाठी •चंदन

Content Office

ध्येय IAS ®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House
Near Chawla Restaurants
Dr. Mukherjee Nagar
Delhi-110009

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

अप्रैल 2020 | अंक 01

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 1–14

- प्रवासी श्रमिकों पर पलायन की विपदा : कोविड 19
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर उठता प्रश्नचिह्न : एक विश्लेषण
- लॉकडाउन में सरकार द्वारा दी गई राहत
- गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020
- भारत–जर्मनी संबंध एक नये दौर में
- कोरोना वायरस का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- पी.एम. केयर्स फंड : कोरोना महामारी से लड़ने की एक पहल

7 ब्रेन बूस्टर्स 15–21

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23

7 महत्वपूर्ण खबरें 24–27

7 महत्वपूर्ण तथ्य 28

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न 29

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ 30

OUR OTHER INITIATIVES

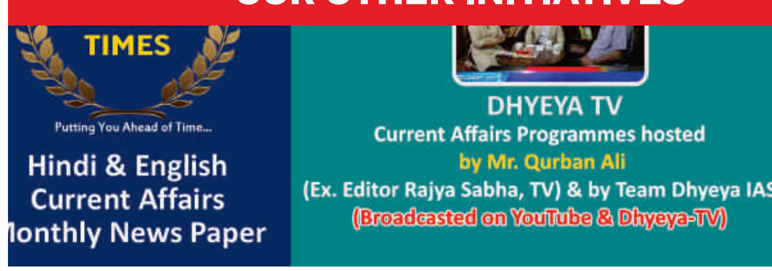

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. प्रवासी श्रमिकों पर पलायन की विपदा : कोविड-19

चर्चा का कारण

कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन की घोषणा होते ही बड़े शहरों में रह रहे प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने लगे, जिससे भारत सरकार के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। प्रवासी मजदूरों के इस स्थिति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा कि मजदूरों का पलायन रोका जाना चाहिए।

याचिका में क्या

जनहितयाचिका में कहा गया था कि कोरोना के चलते लॉकडाउन होने से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ सैंकडों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इनमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल हैं। इन प्रवासी मजदूरों के पास ना तो रहने की सुविधा है और ना ही खाने पीने व परिवहन की सुविधा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट देश भर में प्रशासन को आदेश दे कि इन लोंगों को हर जगह शेल्टर होम में रखकर सुविधाएं दी जाएं।

परिचय

बीते कुछ दिनों से लगभग पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हुआ है। कई देशों में सरकारें लोगों से घरों में बंद रहने के लिए कह रही हैं और वायरस को फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां लगा रही हैं। इसी तरह भारत सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन (Lockdown) घोषित किया है। हालांकि, इन सब के बीच भारत में एक नए तरह का संकट पैदा हो गया है। यह संकट राजधानी सहित देश के दूसरे इलाकों से प्रवासी कामगारों के सामूहिक पलायन से पैदा हुआ है। ऐसे में देश भर में प्रवासी मजदूरों के पलायन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार ने कोर्ट में बताया कि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के प्रसार रोकने के लिए किए गए राष्ट्रव्यापी बंद के कारण बेरोजगार और बेघर हुए लोग अब अपने गृह नगर और गांव जाने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। उनके पास न तो रहने की सुविधा है और न ही घर पहुंचने का जरिया, इन लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए अपने-अपने घर पहुंच चुका है तो लाखों मजदूरों को जहां-तहां रोक दिया गया है।

सरकारी प्रयास

- गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशाषित प्रदेशों को सभी श्रमिकों समेत प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है।
- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की जिससे भारत के गरीब 80 करोड़ लोगों को आर्थिक बोझ से राहत मिले और उनकी रोजी रोटी चल सके। खातों में पैसे डालकर और खाद्य सुरक्षा का बंदोबस्त करके सरकार गरीबों, दैनिक मजदूरी करने वालों, किसानों और मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों की मदद कर रही है।
- गौरतलब है कि भारत में असंगठित क्षेत्र देश की करीब 94 फीसदी आबादी को रोजगार देता है और अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 45 फीसदी है। लॉकडाउन की वजह से असंगठित क्षेत्र पर बुरी मार पड़ी है क्योंकि रातों रात हजारों लोगों का रोजगार छिन गया। इसीलिए सरकार की ओर से जो पहले राहत पैकेज की घोषणा की गई वो गरीबों पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से हुई।
- इसके अतिरिक्त सरकार ने COVID-19 से संक्रमित लोगों और उनके संपर्क में आए अन्य व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों के सहयोग से कड़े कार्यक्रम चलाए जा रहें हैं।
- सरकार आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों जैसे- मास्क (Mask), वेंटीलेटर (Ventilator) आदि की उपलब्धता की निगरानी कर रही है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत एएनएम (ANM), आशा (ASHA), आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आयुष चिकित्सकों और नर्सों आदि को COVID-19 से संक्रमित मामलों में क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
- COVID-19 से संक्रमित मरीजों के पर्यवेक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, चिकित्सीय प्रबंधन, अलगाव सुविधा (Isolation facility) प्रबंधन, गहन देखभाल आदि से संबंधित जानकारी को शामिल किया जा रहा है।

विश्लेषण

- बड़े शहरों से गाँव और कस्बों की ओर पलायन तभी शुरू हो गया था जब प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 24 मार्च की रात 8 बजे पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। लॉकडाउन के ऐलान में कहा गया कि यह रात 12 बजे से प्रभावी हो जाएगा। ऐसे में लोगों

को खाने-पीने की चीजें और दवाएं लेने के लिए बमुश्किल कुछ घंटों का ही समय मिल पाया। प्रवासी मजदूर काम ठप्प हो जाने और बुनियादी चीजें नहीं मिलने की दिक्कतों से जूझ रहे थे। लेकिन पीएम के भाषण में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि कंस्ट्रक्शन और असंगठित क्षेत्र के मजदूर इससे कैसे निपटेंगे।

- जानकारों का कहना है कि सरकार ने महामारी से लड़ने के लिए पश्चिमी देशों की देखा देखी यहां भी अचानक लॉकडाउन को लागू कर दिया। दूसरे देशों से तुलना करें तो भले ही वहां मेडिकल सुविधाओं, टेस्टिंग किट्स की कमी या दूसरी दिक्कतें होंगी लेकिन उन के यहां भारत जैसी प्रवासी मजदूरों की बड़ी तादाद नहीं है। हमारे शहरों में ऐसा एक बड़ा तबका है जो रोजाना की मजदूरी पर जीवन-यापन करता है।
- 2017 के इकॉनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि 2011 से 2016 के बीच करीब 90 लाख लोग एक राज्य से दूसरे राज्य पैसे कमाने के लिए गए। 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या करीब 1.39 करोड़ है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आने वाले स्वायत्त संस्थान इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के मुताबिक, प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा रोजगार कंस्ट्रक्शन सेक्टर देता है। इसमें करीब चार करोड़ मजदूर लगे हुए हैं। इसके बाद घरेलू कामकाज में करीब दो करोड़ मजदूर (आदमी-औरतें) काम करते हैं। टेक्सटाइल में यह आंकड़ा 1.1 करोड़ है जबकि ईंट-भट्ठे के काम से एक करोड़ लोगों को नौकरी मिलती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, खनन और खेती बाड़ी में भी बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर लगे हुए हैं। प्रवासी मजदूरों के मुताबिक, लॉकडाउन के बाद उनकी नौकरियां छूट गई थीं। कंस्ट्रक्शन और दूसरी इंडस्ट्रीज में काम बंद हो जाने की वजह से उन्हें वहां से निकलना पड़ा।
- सरकार ने गरीब तबके के लिए कैश ट्रांसफर और राशन वितरण जैसे उपायों का ऐलान किया है लेकिन कई मजदूरों के पास न तो बैंक खाते हैं न ही राशनकार्ड। सरकार ने ऐलान किया कि मकान मालिक लॉकडाउन के दौरान मजदूरों से इस महीने का किराया नहीं मांगेंगे। इन आदेशों का पालन नहीं करने वालों के लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत छह महीने की जेल या जुर्माने की बात कही गई है।
- प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को जब 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की तो उन्होंने ये सारी बातें नहीं कही थीं। उन्हें लोगों को आश्वस्त करना चाहिए था कि सरकार रहने और खाने-पीने की समस्या नहीं होने देगी।
- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान किए गए राहत पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में 16,000 करोड़ रुपए पहले से प्रतिबद्धता वाले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) के 5,600 करोड़ रुपए की मजदूरी में बढ़ोतरी भी शामिल हैं जिन्हें रूरल डवेलपमेंट मिनिस्ट्री को नोटिफाई भी कर चुकी थी। जानकारों के मुताबिक, राशन और कैश ट्रांसफर के लिहाज से यह राहत पैकेज ठीक है। लेकिन, तमाम गरीब अभी भी पीडीएस कवरेज से बाहर हैं जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2011 के आबादी के आँकड़ों को शामिल किया गया है।
- पीएमजीकेवाई आवंटन के तहत कैश ट्रांसफर के लिए आवंटित 31,000 करोड़ रुपए की रकम जो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले खातों में जाएगी, उससे हर गरीब के खाते में हर महीने 500 रुपए आएंगे। यह शुरुआती तीन महीने चलेगा। किसी भी औसत परिवार के लिए 500 रुपए महीने में घर चलाना नामुमकिन है। जो गरीब लोग पीडीएस या पीएमजीकेवाई में कवर नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान हैं। इन खामियों को दूर क्यों नहीं किया गया।
- लॉकडाउन का उद्देश्य था कि लोगों को समूहों में जमा होने से रोका जा सके लेकिन ये प्रवासी पैदल समूहों में जाते दिखे। सरकार और सिस्टम की आलोचना शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिल्ली में बसें भेज दीं और ये बसों में एक साथ बैठकर गए। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने का मामला भी ध्वस्त होता दिखा। ये अपने गाँव गए लेकिन गृहराज्य की सरकारों ने इनके साथ क्या सुलूक किया वो भी जगजाहिर है। इन्हें क्वॉरंटीन में भेजने की बात कही गई लेकिन वहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं।
- मार्च 2020 की शुरुआत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ-आइसोलेशन को अपनाने की बात कही गई ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। हालांकि, इस मामले में दक्षिण कोरिया एक अपवाद रहा जिसने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का सहारा लिया और कोरोना की चेन को तोड़ने में सफल रहा। दक्षिण कोरिया ने लॉकडाउन जैसे कड़े उपायों को नहीं अपनाया।

आगे की राह

- लॉकडाउन के वक्त सरकार को सेना और राज्यों की मशीनरी की मदद से सीधे गरीबों तक खाने की चीजें पहुंचानी चाहिए इस वक्त हजारों लोग अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो खातों में पैसे डालने का काम तेजी से करे और खाने की चीजों की सप्लाई को भी प्राथमिकता पर रखे चूंकि ये वो लोग हैं जिनके खातों में तत्काल कैश ट्रांसफर किए जाने की जरूरत है। उन्हें किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली है। सरकार को राजकोषीय घाटे की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो आरबीआई से उधार ले और इस विपदा की घड़ी में लोगों पर खर्च करे।
- सइसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों को सामुदायिक रसोई की शुरुआत करनी चाहिये, साथ ही शेल्टर होम्स आदि की व्यस्था करनी चाहिये। इसके अलावा खाने के सामान की आपूर्ति भी समय से होने की सुविधा दी जाए, साथ ही मजदूरों को क्वारंटाइन करने की सुविधा भी दी जाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. हाल ही में लॉकडाउन के वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में श्रमिकों का एक जगह से दूसरे जगह पर पलायन देखा गया। इस श्रमिक पलायन की वजह का उल्लेख करते हुए बताएं कि लॉकडाउन की स्थिति में यह सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है?

2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर उठता प्रश्नचिह्न : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में केन्द्र सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को सेवानिवृत्ति के लगभग चार महीने बाद ही राज्य सभा के लिए नामित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषयों जैसे-असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, सबरीमाला विवाद, अयोध्या राम मंदिर विवाद, राफेल विवाद तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो विवाद की अध्यक्षता की थी जिसमें सरकार ही एक पक्षकार के रूप में थी।

पृष्ठभूमि

यह पहली बार नहीं है जब सेवानिवृत्ति के बाद किसी जज की नियुक्ति हो रही है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक पदों पर की जाती रही है जैसे-

- 1952, जस्टिस फजल अली को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के तुरंत बाद उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
- 1958 में न्यायाधीश एम.सी. चागला ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू के निमंत्रण पर अमेरिका में भारत के राजदूत बनने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय से इस्तीफा दे दिया था।
- सन् 1967 में मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था।
- जस्टिस बहरूल इस्लाम ने 4 दिसंबर, 1980 से 12 जनवरी, 1983 तक सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्य किया था। इनका चुनाव राज्य सभा के लिए हुआ था।
- वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र को कांग्रेस पार्टी के टिकट पर राज्य सभा सदस्य बनाया गया था।
- वर्ष 2014 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी. सताशिवम को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।

क्या सेवानिवृत्ति के बाद जजों की राजनीतिक पदों पर नियुक्ति की जा सकती है?

- **संविधान सभा:** संविधान सभा के सदस्य रहे के.टी. शाह ने यह सिफारिश की थी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सरकार के साथ कार्यकारी संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, जिससे किसी न्यायाधीश को अधिक से अधिक परिलाब्धियाँ तथा उच्च पदों के लिए लालच न दिया जा सके। ज्ञातव्य है कि ऐसे प्रलोभन किसी भी न्यायाधीश की निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं।
- इस सुझाव को डा० वी.आर अंबेडकर ने नहीं माना था। उनका मानना था कि न्यायपालिका जिन विषयों पर निर्णय करती है, उसमें सरकार की विशेष रूचि नहीं होती है, यदि किसी वाद में सरकार पक्षवार भी है तो इसका संबंध आम नागरिकों के मुद्दों से नहीं होता है। डा. बी.आर अम्बेडकर का मानना था कि "सरकार द्वारा न्यायपालिका के एक सदस्य के आचरण को प्रभावित करने की संभावना बहुत कम है।"
- **भारतीय संविधान:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया है, भारतीय राज्यक्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है। ज्ञातव्य है कि संविधान का यह प्रावधान किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति, राज्यपाल या लोकसभा या राज्यसभा सदस्य बनने से निषेधित नहीं करता है।
- **विधि आयोग:** वर्ष 1958 में विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में कहा था कि भारत में सेवानिवृत्त न्यायाधीश दो प्रकार के कार्यो में संलग्न थे। ये हैं-प्रथम, "चैंबर प्रैक्टिस" (इसमें पक्षकार को राय देना और निजी विवादों में मध्यस्थ के रूप में सेवा प्रदान करना), दूसरा सरकार के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों को धारण करना। विधि आयोग ने चैंबर प्रैक्टिस जैसी व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की, लेकिन इसके उन्मूलन की सिफारिश नहीं की थी। विधि आयोग के दृष्टिकोण में सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायधीश सेवानिवृत्ति के बाद उपयुक्त राजनीतिक/शासकीय पदों के लालच में होते है फलस्वरूप इनके दृष्टिकोण में सरकार समर्थक होने की प्रवृत्ति अधिक होती है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार मुख्यत: दो बातों में निहित है- पहला इसका तार्किक रवैया, तथा दूसरा इसके न्यायाधीशों की एकता व अखण्डता। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान ने न्यायालयों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायलय तथा उसके अधीन उच्च न्यायलयों की स्थापना की गई है।
- संविधान के भाग-5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, उसकी स्वतंत्रता, न्यायक्षेत्र शक्तियाँ आदि का पृथक प्रावधान किया गया है।
- दूसरी ओर संविधान के भाग-6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों से संबंधित पृथक प्रावधान किए गए हैं।
- इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के गठन का प्रावधान है।
- भारत में शक्तियों के पृथकरण (Doctrine of Saparation of Powers) का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि (अर्थात सांसद/ विधायक) नियम/ कानून बनाते हैं। वहीं कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करता है, जबकि न्यायपालिका इन कानूनों की व्याख्या करता है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान के संरक्षक होने के नाते न्यायपालिका को दबाओं और प्रलोभनों से स्वतंत्र रखा गया है। इसलिए न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा लाए गए मनमाने और गैर कानूनी कार्यों/नियमों/कानूनों की जाँच करती है।
- न्यायालयों को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए ही नयायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि न्यायधीशों की नियुक्ति राजनीति से प्रेरित नहीं है।
- न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंद पद धारण नहीं करते हैं इसलिए उन्हें नियुक्ति के बाद मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार न्यायाधीशों को केवल साबित

कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है।

- अनुच्छेद 121 और 211 विधायिका को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने से माना करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते तथा विशेषाधिकार का निर्धारण समय-समय पर संसद द्वारा किया जाता है। इन विशेषाधिकारों में वित्तीय आपातकाल के अलावा किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना पर दंडित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- अपने अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार उच्चतर न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के पास ही है।
- इसके अलावा संसद को न्यायालयों के न्यायक्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वृद्धि का अधिकार है।

सेवानिवृत्त न्यायधीशों की नियुक्ति का प्रभाव

- देश में कहीं भी जब दो लोगों के बीच कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो वे न्याय के लिये न्यायालयों कि ओर रुख करते हैं। लेकिन वह स्थिति कैसी होगी जब न्यायपालिका स्वयं न्यायिक निष्पक्षता के कटघरे में खड़ी हो? न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है, जो मुख्यत: तीन बातों पर निर्भर है ये हैं-
- न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से उन्मुक्त होना चाहिये।
- न्यायपालिका के निर्णय व आदेश कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिये।
- न्यायाधीशों को भय या पक्षपात के बिना न्याय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये।
- सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद हुई नियुक्तियों से पता चलता है कि इन नियुक्तियों को लेकर फैसले संबंधित सरकारों ने पहले ही जजों के कार्यकाल के दौरान ही ले लिए थे। इससे निश्चित तौर पर उन फैसलों पर सवाल उठते हैं जिन मामलों में संबंधित सरकारों के दांव लगे हुए थे क्योंकि अर्ध-न्यायिक (क्वासी-जुडिशल) इकाइयों की नियुक्तियों में सरकार की बड़ी भूमिका होती है।
- चूंकि ऐसा माना जाता है कि किसी तरह के पक्षपात से न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता पर सवाल उठते, हैं साथ ही किसी पक्षपात की संभावना, जो वास्तविकता के आधार पर ही बनी हो, न्यायिक प्रक्रिया को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बार-बार यह कहा-सुना भी जाता है कि इंसाफ न केवल होना चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए कि इंसाफ हुआ है।
- जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस कुरियन जोसेफ के मुताबिक न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे के प्रति प्रशंसा का भाव रखने के बजाए एक दूसरे पर निगरानी रखनी चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली नियुक्तियां अक्सर न्यायपालिका की स्वतंत्रता में गिरावट की वजह बन सकती हैं।
- अरुण जेटली ने नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राज्यसभा में 2012 में जजों के लिए 'कूलिंग पीरियड' की वकालत की थी. उन्होंने कहा था कि, 'सेवानिवृत्ति से पहले लिए गए फैसले सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले पद की चाहत में प्रभावित होते हैं। मेरी सलाह है कि सेवानिवृत्ति के बाद दो सालों (नियुक्ति से पहले) का अंतराल होना चाहिए अन्यथा सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदालतों को प्रभावित कर सकती है और एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार न्यायपालिका कभी भी वास्तविकता नहीं बन पाएगी।'
- जस्टिस एसएच कपाड़िया और जस्टिस टीएस ठाकुर के अनुसार किसी भी जज को किसी भी सरकार से मिलने वाली वेतनभोगी नौकरियों को, कम से कम सेवानिवृत्ति के बाद के तीन साल के 'कूलिंग पीरियड' में स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- यदि कोई न्यायाधीश सरकार के पक्ष में अत्यधिक विवादास्पद मामलों पर निर्णय करता है और फिर सेवानिवृत्ति के बाद कोई शासकीय पद स्वीकार करता है तो इससे जनता के बीच यही संदेश जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता किया गया है, भले ही यह 'क्विड प्रो क्वो' (लाभ के बदले लाभ प्राप्त करना) का मामला न हो।

आगे की राह

- प्रशासनिक निकायों में कई सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों की नियुक्तियों के लिये कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता होती है ताकि हितों के टकराव की संभावना या संदेह को समाप्त किया जा सके। इस कूलिंग ऑफ पीरियड को भारतीय न्यायपालिका तक बढ़ाया जाना चाहिए।
- पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा ने कम से कम दो साल की कूलिंग ऑफ पीरियड की सिफारिश की है। इस सिफारिश को अमल में लाने की आवश्यकता है।
- न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की टिप्पणियां भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा था, कुछ पद हो सकते हैं, जिनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की आवश्यकता होती है जैसे कि लोकपाल, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष आदि। हालांकि यह रोजमर्रा का विषय नहीं बनना चाहिए, विशेष रूप से जब सरकार नियुक्तियां कर रही हो।
- सेवानिवृत्त होने वाले जजों के व्यापक अनुभव और उनकी गहरी अंतर्दृष्टि को यूं ही गंवा देना भी एक आदर्श स्थिति नहीं है। इसके लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित करनी होगी जिसकी मदद से सेवानिवृत्त जजों की क्षमता का उचित इस्तेमाल किया जा सके।
- न्यायाधीशों के लिए 16-सूत्रीय आचार संहिता, जिसे मई 1997 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में "न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनर्स्थापना" अपनाया गया था- को न्यायाधीशों द्वारा पालन किए जाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।

प्र. लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या महत्व है? स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए भारतीय राजनीतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था में निहित उपायों पर प्रकाश डालिए।

3. लॉकडाउन में सरकार द्वारा दी गई राहत

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 (कोरोना वायरस से उत्पन्न बीमारी) से निपटने हेतु 21 दिनों के देशव्यापी बंद (Lockdown) लॉकडाउन (25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक) की घोषणा की है।

परिचय

- प्रधानमंत्री ने पूरे देश को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 जैसी वैश्विक बीमारी से निपटने हेतु 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) अति आवश्यक है।
- कोविड-19 बीमारी में कोरोना वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है, अत: लॉकडाउन के द्वारा सामाजिक दूरी (Social Distancing) बनाकर इसके प्रसार को रोका जा सकता है।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति निरंतर बनी रहेगी।
- सरकार ने यह भी सिफारिश की है कि लोग न ही अफवाह फैलायें और न फैलने दें। कोविड-19 बीमारी के प्रति अंधविश्वास और स्व-उपचार (Self-medication) से बचना चाहिए।

लॉकडाउन और कर्फ्यू

- लॉकडाउन और कर्फ्यू, दोनों के ही लगभग उद्देश्य एक जैसे हैं, किन्तु इन दोनों अवधारणाओं में कुछ बुनियादी अंतर हैं, जिसे हम नीचे दिये गये शीर्षकों से समझेंगे।

लॉकडाउन

- लॉकडाउन कोई कानूनी शब्द नहीं है क्योंकि इसका भारत के किसी भी कानून में उल्लेख नहीं है। इसे आम बोल-चाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। हालांकि इस समय भारत सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है, उसे महामारी रोग अधिनियम, 1897 (Epidemic Disease Act, 1897) के तहत लगाया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लॉकडाउन शब्द का भले ही, किसी कानून में उल्लेख नहीं है किन्तु यह अवधारणात्मक रूप से 1897 के कानून में मौजूद है। इस कानून में केन्द्र और राज्य दोनों को काफी शक्तियाँ दी गयी हैं।
- लॉकडाउन की स्थिति में आवश्यक वस्तुओं (यथा-खाद्य सामग्री, दूध आदि) और सेवाओं (यथा-मीडिया, रसद आपूर्ति आदि) के लिए छूट होती है और इसके लिए लोग बाहर निकल सकते हैं।
- लॉकडाउन में पुलिस लोगों को हिरासत में नहीं लेती है। हालांकि कोर्ट के आदेश से ऐसा किया जा सकता है। यदि कोई अव्यवस्था फैलाता है तो पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 269 और 270 के तहत कार्यवाही करती है।
- लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को क्वारंटिन (Quarantine) किया जा रहा है और क्वारंटिन का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध पुलिस आईपीसी का धारा 271 के तहत कार्यवाई करती है।

कर्फ्यू

- कानून एवं व्यवस्था का विषय राज्य सरकार के हाथों में होता है, अत: राज्य सरकार सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू को लागू करती है।
- कर्फ्यू में सरकार अकसर जरूरी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर भी रोक लगा देती है। यहाँ आपात सेवाओं (यथा- अस्पताल आदि) को चालू रखा जाता है।
- कर्फ्यू के दौरान पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। इस दौरान बाहर निकलने वाले व्यक्ति को प्रशासन से परमिट लेने की आवश्यकता होती है।

सरकारी पहलें

- भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने हेतु स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूत करने हेतु 15000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। इससे कोरोना वायरस जाँच सुविधा, वेंटिलेटर, दवा और डॉक्टर व मेडिकल स्टॉफ को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत बीमारियों से निपटने हेतु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चलायी जाने वाली योजनाओं को समन्वित किया है ताकि जाँच-किट, थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर, मॉस्क आदि की आपूर्ति तथा कोविड-19 से निपटने हेतु अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके।
- सार्वजनिक स्थानों एवं यातायात के साधनों को संक्रमण मुक्त करने हेतु सरकार ने सोडियम हाइपोक्लोराइट (Sodium Hypochlorite) जैसे रसायनों का छिड़काव किया है।
- अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने समय से पूर्व बैठक की और रेपो दर में 75 आधार अंकों की कटौती करके 4.4% किया, जबकि रिवर्स रेपो दर में 90 आधार अंकों की कटौती करके 4% कर दिया।
- भारत सरकार ने इस महामारी के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष' (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund) की स्थापना की है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसमें कोई भी (व्यक्ति अथवा संस्था) योगदान कर सकता है। हालाँकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) के तहत कम्पनियों को योगदान करना अनिवार्य है।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 'कर्मचारी भविष्य निधि' (ईपीएफ) योजना में संशोधन किया है ताकि ईपीएफ खातों से लोग कुल राशि का 75% का गैर-वापसी अग्रिम या तीन माह का पारिश्रमिक (इनमें से जो भी कम हो) प्राप्त कर सकें।
- भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना एवं अन्य के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की भी घोषणा की है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा, किसानों (किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत), जन धन खाता द्वारा महिलाओं, स्वयं सहायता समूह, वरिष्ठ नागरिक आदि को लाभ पहुँचाया जायेगा।
- इस योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख का बीमा कवर प्रदान किया गया है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के

तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से और अधिक अनाज उपलब्ध कराया जायेगा।

- सरकार ने कॉर्पोरेट दिवालियापन की कार्यवाई की सीमा (Insolvency Thresold) को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है ताकि एमएसएमई को राहत प्रदान की जा सके।

विश्लेषण

- विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के प्रयासों से कोविड-19 से निपटने हेतु कई तकनीकों का विकास हो रहा है, यथा- पुणे स्थित एक स्टार्ट-अप ने अस्पताल को कीटाणुरहित करने हेतु साइटेक एयरऑन (Scitech Airon) तकनीक का विकास किया है। हालांकि सरकार को निधि (NIDHI) व प्रयास (PRAYAS) कार्यक्रम के तहत स्टार्ट-अप्स को और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए।
- कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि अन्य प्रदेशों से घर लौटने वाले व्यक्तियों को संक्रमण मुक्त करने के लिए उन पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर दिया गया। सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे रसायनों के छिड़काव से लोगों को अन्य रोग हो सकते हैं।
- भारत सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी), सुकन्या समृद्धि योजना आदि जैसी छोटी बचत की योजनाओं में ब्याज दरों में कटौती की है। इससे बेरोजगारी के दंश को सहन कर रहे लोगों की बचत प्रभावित होगी और आगे चलकर निवेश पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है।
- कुछ कोविड-19 के संदिग्धों की निजी जानकारी सार्वजनिक हुई इससे उनकी निजता के अधिकार (मौलिक अधिकार) का हनन होता है, अतः सरकार को इस पर प्रभावी रोक लगानी चाहिए।
- मध्यवर्ग पर आर्थिक भार को कम करने के लिए आरबीआई ने बैंकों से निवेदन किया है कि ईएमआई में छूट प्रदान करें। अंतः पहले से ही एनपीए आदि समस्याओं से जूझ रहे बैंकों को और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने हेतु कई आर्थिक पैकेजों की घोषणा की है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी विशाल आबादी के लिए यह राशि काफी कम है।
- वृहद संख्या में उत्पादन इकाईयों के बंद होने से लोगों के भारी मात्रा में रोजगार छिन गये हैं जो माँग, बचत, निवेश आदि सभी को प्रभावित करेंगे। विशेषज्ञों का यहाँ तक कहना है कि अर्थव्यवस्था को मंदी का सामना करना पड़ सकता है।

आगे की राह

- सरकार को कोविड-19 से निपटने हेतु शुरू की गयी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा ताकि इस बीमारी का कम से कम असर हो।
- वर्तमान में व्याप्त चुनौतियों से निपटने हेतु एक नीति बनाने की आवश्यकता है जिसमें लघुकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार के लक्ष्य हों।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याण कारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

प्र. हाल ही में कोरोना वायरस के प्रभाव से बचने के लिए सरकार द्वारा देशव्यापी बंद का आवाहन किया गया। देशव्यापी बंद इस वायरस से निपटने में किस प्रकार सहायक होगा? चर्चा करें।

4. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

- हाल ही में लोकसभा द्वारा गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक 2020 (The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill 2020) पारित किया गया। इसमें गर्भपात की सीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले महिलाएँ अधिकतम 20 सप्ताह तक ही गर्भपात करा सकती थीं। इस विधेयक में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट-1971 (एमटीपी एक्ट) में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।

परिचय

- भारत में गर्भधारण को समाप्त कने के लिए मौजूदा कानून 12 सप्ताह की समयावधि प्रदान करता है। कुछ मामलों में ही इस अवधि को 20 सप्ताह तक बढ़ाया जा सकता है। जिसके परिणामस्वरूप महिलाएँ गर्भपात के असुरक्षित साधनों का सहारा लेती हैं, जिससे जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं और कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है। हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत में असुरक्षित गर्भपात के कारण प्रतिदिन 10 से अधिक महिलाओं की मौत हो जाती है।
- लंबे समय से महिलाएँ और चिकित्सक मौजूदा कानून में संशोधन की मांग कर रहे थे। अदालत ने भी इसके लिए आग्रह किया था। इसके पीछे यह दलील दी जाती है कि अगर महिला को गर्भवती होने का अधिकार है, तो गर्भपात करवाना है या नहीं इसका भी हक उसी के पास होना चाहिए। बच्चे को जन्म देना ही अहम नहीं होता बल्कि बच्चे की सही परवरिश और पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी मुख्यतः महिला पर ही होती है। ऐसे में यदि कोई महिला वर्षों चलने वाली इस जिम्मेदारी का पालन करने की स्थिति में नहीं है तो उसे गर्भपात की इजाजत मिलनी ही चाहिए। कई मामलों में तो गर्भ की विसंगतियों का पता ही 20 सप्ताह के बाद चलता है और वर्तमान कानून के तहत 20सप्ताह के बाद गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। एक अनुमान है कि देश में हर

ध्येयIAS most trusted since 2003

साल करीब 2 करोड़ 70 लाख बच्चे जन्म लेते हैं, जिनमें से 17 लाख बच्चे जन्मजात विसंगतियों के साथ पैदा होते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में मामले देर से सामने आने पर 20 हफ्तों में गर्भपात करना संभव नहीं होता। 20 हफ्तों की सीमा के चलते कई जगहों पर गैरकानूनी तरीके से असुरक्षित ढंग से गर्भपात कराए जा रहे थे।

- देश में कुल मातृ मृत्यु दर का जो आंकड़ा है उसमें 8 फीसदी मौतें असुरक्षित तरीके से होने वाले गर्भपात के कारण होती हैं। दरअसल प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध के कारण कई अच्छे डॉक्टर गर्भपात करने से हिचकते हैं। इसलिए कई बार यह काम नीम-हकीमों से कराया जाता है। इन तमाम समस्याओं की वजह से गर्भपात की सीमा बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया था।
- सुरक्षित गर्भपात के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति को देखते हुये यह विधेयक 1971 के गर्भपात को समाप्त करने वाले कानून में संशोधन को प्रस्तावित करता है ताकि गर्भधारण को समाप्त करने की ऊपरी समय सीमा को बढ़ाया जा सके।

विधेयक के मुख्य बिंदु

- **गर्भावस्था को समाप्त करना:** एमटीपी एक्ट के अंतर्गत 12 सप्ताह के अंदर गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है, अगर पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर की राय में (i) गर्भावस्था से माँ के जीवन को खतरा हो सकता है या उसकी सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है, या (ii) अगर इस बात का जोखिम है कि बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से असामान्य पैदा हो सकता है। वहीं 12 से 20 सप्ताह में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दो मेडिकल प्रैक्टीशनर्स की राय अपेक्षित है।
- वर्तमान विधेयक में इस प्रावधान को संशोधित किया गया है जिसके अनुसार एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर की राय से 20 सप्ताह के भीतर गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। जबकि 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भपात कराने के लिए दो पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर्स की राय अपेक्षित है। 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने वाला प्रावधान सिर्फ विशिष्ट श्रेणी की महिलाओं पर ही लागू होगा और उन श्रेणियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार मेडिकल प्रैक्टीशनर्स के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने से संबंधित राय देने के नियमों को भी अधिसूचित करेगी।
- पुराने अधिनियम के अनुसार अगर विवाहित महिला या उसके पति द्वारा प्रयोग किए गए गर्भनिरोधक के असफल रहने पर गर्भावस्था होती है तो अवांछित गर्भावस्था से गर्भवती महिला को मानसिक आघात हो सकता है। वर्तमान विधेयक में इस प्रावधान को भी संशोधित किया गया है और 'विवाहित महिला या उसके पति' के स्थान पर 'महिला या उसका साथी' शब्द का प्रयोग किया गया है।
- **मेडिकल बोर्ड का गठन:** वर्तमान विधेयक के अनुसार, गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी, जहां असामान्य भ्रूण (fetus) के निदान (डायग्नोसिस) के कारण गर्भपात जरूरी है। इस असामान्य भ्रूण का डायग्नोसिस मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार एक मेडिकल बोर्ड बनाएगी। इन बोर्ड्स में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:
    - स्त्री-रोग विशेषज्ञ
    - बाल-रोग विशेषज्ञ
    - रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट, और
    - कोई अन्य सदस्य, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार इन मेडिकल बोर्ड्स की शक्तियों और कार्यों को अधिसूचित करेगी।
- **महिला की निजता का संरक्षण:** विधेयक के अनुसार, पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर को किसी व्यक्ति के समक्ष उस महिला के नाम और उसके अन्य विवरण का खुलासा करने की अनुमति नहीं है जिसका गर्भपात किया जाना है। वह सिर्फ उसी व्यक्ति के समक्ष यह खुलासा कर सकता है जिसे किसी कानून के अंतर्गत अधिकृत किया गया है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष तक की सजा, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

गर्भपात की वैश्विक स्थिति

- दुनिया भर के देशों में गर्भपात से संबन्धित कानून अलग-अलग हैं और लगभग 60 देश गर्भपात की ऊपरी समय सीमा निर्धारित करते हैं। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, इथियोपिया, इटली, स्पेन, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यहां तक कि नेपाल जैसे देशों में भी भ्रूण की असामान्यताओं के निदान के लिए 20 से अधिक सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है।
- कनाडा, जर्मनी, वियतनाम, डेनमार्क, घाना, और जाम्बिया सहित 23 देश ऐसे हैं जो इन सीमाओं से आगे बढ़कर माँ के अनुरोध पर गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भपात की अनुमति देते हैं। ब्रिटेन में, 'रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्सट्रिशियंस' द्वारा तैयार किए गए गर्भपात के दिशानिर्देशों के तहत 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है। इन दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि, 21 सप्ताह और 6 दिनों से अधिक उम्र की गर्भावस्था में, गर्भपात के लिए भ्रूण को बाहर निकालने से पहले इंजेक्शन देकर उसे मार दिया जाता है।

भारत में गर्भपात की स्थिति

- गुटमाकर इंस्टीट्यूट (Guttmacher Institute) के 2018 के एक अध्ययन के अनुसार, भारत के छह बड़े राज्यों-असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 50% गर्भधारण अनचाहे होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़ों देश में सिर्फ 8% दंपत्ति ही आधुनिक गर्भनिरोधक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और 53% किसी न किसी गर्भनिरोधक विधि का उपयोग करते हैं। इसमें यह भी पाया गया कि असम में 55%, बिहार में 48%, गुजरात में 53%, मध्य प्रदेश में 50%, तमिलनाडु में 43% और उत्तर प्रदेश में 49% गर्भधारण अनचाहे हैं।
- गुटमाकर इंस्टीट्यूट और विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से लांसेट (The Lancet) द्वारा 2016 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 2010 से 2014 के बीच हर साल लगभग 56 मिलियन गर्भपात हुए। गुटमाकर

इंस्टीट्यूट और आईआईपीएस की मदद से लांसेट द्वारा 2015 में प्रकाशित ग्लोबल हेल्थ के अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि 2015 में भारत में 15.6 मिलियन गर्भपात किए गए थे।

आगे की राह

- गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक 2020 महिलाओं तक चिकित्सीय, यूजेनिक, मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं की पहुंच को विस्तारित करता है।
- यह महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण की दिशा में एक कदम है और इससे कई महिलाएं लाभान्वित होंगी।
- इससे महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली यौन हिंसा के कारण गर्भधारण भ्रूण की असामान्यताओं गर्भधारण के आधार पर वर्तमान अनुमति सीमा से परे गर्भकालीन उम्र में गर्भपात की अनुमति के लिए न्यायालयों पर निर्भरता घटेगी।
- इस अधिनियम में गर्भकालीन आयु में प्रस्तावित वृद्धि गर्भावस्था को समाप्त करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता और न्याय सुनिश्चित करेगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. हाल ही में गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक 2020 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, यह बतायें कि इससे महिलाओं की जीवन रक्षा में कितना सुधार होगा?

5. भारत–जर्मनी संबंध एक नये दौर में

चर्चा का कारण:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय, भारत सरकार और जर्मनी के डीबी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग जीएम के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी। समझौता ज्ञापन पर फरवरी 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे।

पृष्ठभूमि

- रेल मंत्रालय ने विभिन्न विदेशी और राष्ट्रीय रेलवे में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों (समझौता ज्ञापनों) / सहयोग के ज्ञापनों (MoCs)/ प्रशासनिक व्यवस्थाओं (AAs)/संयुक्त घोषणाओं (JDI) पर हस्ताक्षर किए हैं। रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को सक्षम करेगा:
- माल परिचालन (सीमा पार परिवहन, मोटर वाहन परिवहन और रसद सहित)
- यात्री परिचालन (उच्च गति और सीमा पार यातायात सहित),
- बुनियादी ढांचा निर्माण और प्रबंधन (समर्पित माल गलियारों और यात्री स्टेशनों के विकास सहित),
- एक आधुनिक, प्रतिस्पर्धी रेलवे संगठन का विकास (संगठनात्मक संरचनाओं और रेलवे सुधार के सुधार सहित),
- रेलवे संचालन, विपणन और बिक्री के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आईटी समाधान, रख - रखाव,
- निजी ट्रेन संचालन और कोई भी अन्य क्षेत्र जो दोनों पक्षों के बीच लिखित रूप में परस्पर सहमत हो सकता है।

भारत और जर्मनी

- **राजनीतिक संबंध:** भारत जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। आज, भारत अपने महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधार कार्यक्रमों और देश के औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए दुनिया में जर्मनी को एक महत्वपूर्ण भागीदार मानता है।
- जर्मनी और भारत नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने में विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में एक साझा हित साझा करते हैं।
- वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। साइबर सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जर्मनी और भारत अक्सर समान विचार रखते हैं।
- मई 2000 में, दोनों देशों ने '21 वीं शताब्दी में भारत-जर्मनी साझेदारी के लिए एजेंडा' को अपनाया, जिसमें दोनों शासनाध्यक्षों के साथ-साथ विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकें भी शामिल हैं। भारत और जर्मनी 2000-01 से एक 'रणनीतिक साझेदारी' बने हुए हैं।

आर्थिक संबंध

- यूरोपीय संघ में जर्मनी भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। चूंकि भारत ने 1991 में सुधार का रास्ता अपनाया और अपनी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण किया इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा तेजी से बढ़ी है।
- जर्मन वस्तुओं, विशेष रूप से पूंजीगत वस्तुओं (मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उत्पाद, धातु के सामान, रासायनिक उत्पाद, मोटर वाहन और वाहन भागों) के लिए मजबूत भारतीय मांग है।
- जर्मनी कपड़ा क्षेत्र, रासायनिक उत्पादों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उत्पादों, धातु और चमड़े के सामान और खाद्य पदार्थों के लिए भारतीय निर्यात पर केंद्रित है।
- दशकों से, जर्मनी भारत में दस प्रमुख विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों में से एक रहा है। जर्मनी भारत में 7 वां सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक है। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2017 तक भारत में संचयी जर्मन एफडीआई 10. 71 बिलियन डॉलर या कुल एफडीआई का 2.91% था।
- दिसंबर 2018 में, जर्मन प्रत्यक्ष निवेश कुल 11.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। निवेश ने परिवहन, विद्युत और धातु क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। पिछले वर्षों में, सेवा क्षेत्र (विशेष रूप से बीमा में) ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, जर्मनी ने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन में भी निवेश किया है।
- जर्मनी भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश साझेदार है और भारत अपने बुनियादी

ढांचा परियोजनाओं में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और निवेश के लिए जर्मनी को भागीदार के रूप में देख रहा है।

विकास सहयोगः

- भारत के साथ जर्मनी का विकास सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख घटक है। भारत एक वैश्विक विकास भागीदार है, जो वैश्विक विकास के मुद्दों, वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं की सुरक्षा, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं (जी 20, डब्ल्यूटीओ दोहा दौर, जलवायु वार्ता, में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

द्विपक्षीय विकास सहयोग निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित हैः

1. ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरण और गरीबी को कम करने के लिए ऊर्जा तक पहुंच।
2. शहरी और औद्योगिक पर्यावरण संरक्षण और शहरी बुनियादी ढांचे स्थिति में सुधार।
3. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता को मजबूत करना और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता और आय बढ़ाना।
4. महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली की स्थापना का समर्थन और सामाजिक नीति में या स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन।

शिक्षा और संस्कृति

- जर्मनी में लगभग 20,000 भारतीय छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों का अनुसरण कर रहे हैं। लगभग 1000 जर्मन छात्र भारत में इंटर्नशिप कर रहे हैं।
- जर्मनी में भारतीय नृत्य, संगीत और साहित्य के साथ-साथ चलचित्र और टीवी उद्योग, विशेष रूप से बॉलीवुड में रुचि बढ़ रही है।
- पार्टनर्स फॉर द फ्यूचर पहल (PASCH) के तहत, (48 भारतीय स्कूलों) जिनमें जर्मन को एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, जैसे-गोए थे।
- इंस्टीट्यूट विदेश से समर्थन प्राप्त कर रहे हैं।
- गोएथे-इंस्टीट्यूट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) द्वारा संचालित स्कूलों की राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए भी सहयोग किया है।
- भारत में गोएथे-इंस्टीट्यूट की छह शाखाएँ हैं जिन्हें भारतीय अध्ययन के संस्थापक मैक्स मुलर (1823-1900) के नाम पर "मैक्स मुलर भवन" कहा जाता है। मैक्स मुलर इंडो-यूरोपीय भाषाओं के पहले विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों और ऋग्वेद का अनुवाद और प्रकाशन किया था।

विज्ञान और तकनीक

- 1974 में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में सहयोग पर अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत के वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों का प्रीमियर जर्मन आरएंडडी संस्थानों के साथ घनिष्ठ भागीदारी है,जिसमें मैक्स प्लैंक सोसायटी, फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूशंस और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन शामिल हैं।
- 2010 में एक समझौते के जरिए द्विपक्षीय इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (IGSTC) को औद्योगिक प्रासंगिकता की अनुसंधान साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार (DST) और जर्मनी सरकार (BMBF) की एक प्रमुख पहल के रूप में स्थापित किया गया था। IGSTC ने 2011 में गुड़गांव से परिचालन शुरू किया। भारत के साथ मिलकर, जर्मनी द्विपक्षीय अनुसंधान प्रोत्साहन केंद्र का समर्थन करता है।
- जर्मन हाउस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन (DWIH) आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2012 में नई दिल्ली में खोला गया था।
- जर्मनी में कई बड़े शोध संस्थानों में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जर्मनी दुनिया भर में भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान भागीदार है।भारत ने जर्मनी में प्रमुख विज्ञान परियोजनाओं में निवेश किया है जैसे कि सुविधा के लिए एंटीमार्टन और आयन रिसर्च (FAIR) के लिए डार्मस्टेड और उन्नत सामग्री और कण भौतिकी में प्रयोगों के लिए ड्यूश एलेक्ट्रोन सिनक्रोट्रॉन (DESY)।

पर्यावरण संरक्षण

- भारत और जर्मनी द्विपक्षीय रूप से और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक दूसरे से सीखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
- पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भविष्य की प्राथमिकताओं में समुद्री कचरे के खिलाफ लड़ाई, रणनीतिक विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी), वानिकी और नवीकरण शामिल हैं।
- दोनों देश वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, सतत विकास आदि पर जी -20 में एक-दूसरे से परामर्श करते हैं।

रक्षा सहयोग

- भारत-जर्मनी रक्षा सहयोग समझौता (2006) द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट (सीडीएम) के प्रतिनिधिमंडल समय-समय पर जर्मनी का दौरा कर चुके हैं।
- रक्षा संवाद तंत्र में रक्षा सचिवों के स्तर पर उच्च रक्षा समिति की बैठकें शामिल हैं।
- जर्मन कंपनियां हमारे रक्षा मंत्रालय को रक्षा संबंधित उपकरण और मशीनरी पार्ट्स निर्यात करती हैं।

सिस्टर स्टेट्स

- भारत और जर्मनी के कुछ राज्यों और शहरों ने ट्विनिंग व्यवस्था में प्रवेश किया है।
- कर्नाटक और बावरिया में 2007 से सिस्टर स्टेट्स की व्यवस्था है।
- मुंबई और स्टटगार्ट 1968 से सिस्टर स्टेट्स हैं।
- जनवरी 2015 में, महाराष्ट्र और बाडेन-वुर्टेमबर्ग ने सिस्टर स्टेट संबंध स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारत के लिए जर्मनी का महत्व

- एमओयू के तहत तकनीकी सहयोग से ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्ट, क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सहित माल ढुलाई की सुविधा होगी। यह बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी मदद करेगा। इसमें नए समर्पित माल गलियारे और नई यात्री गाड़ियों का निर्माण शामिल है।
- दिसंबर 2018 में, भारत में जर्मन प्रत्यक्ष निवेश लगभग 11.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हालांकि, वैश्विक मंदी के बीच 2019 में निवेश में गिरावट आई है। इसके विपरीत, भारतीय फर्मों द्वारा जर्मनी में प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई का अनुमानित स्टॉक) अब 4.2 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है।
- जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक

सम्मेलन में भारत के नेतृत्व का समर्थन करता है। जर्मनी ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है।

- भारत और जर्मनी ब्राजील और जापान के साथ जी -4 के सदस्य हैं। जी 4 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। जर्मनी और भारत जी -4 के ढांचे के भीतर यूएनएससी विस्तार के मुद्दे पर सहयोग करते हैं ।
- जर्मनी दुनिया के सबसे कम धूप वाले देशों के बीच होने के बावजूद दुनिया भर में सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादकों में से एक है। भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जर्मनी सक्रिय भूमिका निभा सकता है।
- हाल ही में फ्रांस के साथ भारत के जुड़ाव को बढ़ाते हुए जर्मनी के साथ संबंधों को नए सिरे से देखा जा रहा है। दोनों ओर से नियमित रूप से उच्च-स्तरीय दौरे हुए हैं। हाल ही में नवंबर 2019 में जर्मन चांसलर एंजेल मर्केल ने भारत का दौरा किया।

दोनों देशों के बीच समानताएं:

- दोनों सामान्य मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों को साझा करते हैं, और इनका संबंध हमेशा महान पारस्परिक सम्मान और समझ पर आधारित रहा है।
- आज, भारत सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और जर्मनी यूरोप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- दोनों प्राकृतिक साझेदार हैं जो समृद्धि के लिए एक संयुक्त प्रयास, पर्यावरण आदि की रक्षा कर रहे है।
- भारत जर्मनी का सबसे बड़ा विकास साझीदार है जिसने सफलता के ट्रैक रिकॉर्ड को साबित किया है। अब, दोनों फोकस के क्षेत्र अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, सतत शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और संसाधन प्रबंधन हैं।

चुनौतियाँ

- जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। जर्मनी और यूरोपीय संघ अधिक उदार श्रम नियमों के लिए कार्य करते हैं। जबकि भारत में इसका अभाव है।
- व्यापार में तकनीकी नियम जर्मन कंपनियों के लिए वास्तविक बोझ हैं और भारत के व्यापार उदारीकरण के उपायों के बारे में जर्मनी और यूरोपीय संघ को संदेह है।
- शहरी और औद्योगिक पर्यावरण संरक्षण के मामले में भारत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। देश में स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए वायु प्रदूषण, जल संरक्षण, दीर्घकालिक-टिकाऊ मिट्टी संरक्षण, शोर में कमी और जैव विविधता संरक्षण के खिलाफ लड़ाई महत्वपूर्ण है।
- जर्मन कंपनियां भारत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन, भारतीय पक्ष के लिए यह जरूरी है कि वे जर्मनी द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करें और उन पर ध्यान दें।

आगे का राह

- हमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत करने की दिशा में काम करने की जरूरत है। दोनों देशों को वैश्विक विकास चुनौतियों से निपटने के लिए समान भागीदार के रूप में काम करना चाहिए।
- बढ़ते पर्यावरण क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभावों के साथ, हमें अपने निवास स्थान की सक्रिय रूप से रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मामले पर निकट सहयोग करने की आवश्यकता है।
- जर्मनी के पास विशाल भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने की तकनीकी क्षमता है। जर्मनी बाहर से कुशल श्रमशक्ति की तलाश कर रहा है और भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए।
- आर्थिक मुद्दे और विदेशी आर्थिक मुद्दे हमारी विदेश नीति में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, इसलिए जर्मनी के साथ ऐसे समझौते भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. हाल ही में रेलवे में सुधार के लिए भारत और जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यह समझौता भारतीय रेलवे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक होगा?

6. कोरोना वायरस का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

चर्चा का कारण

- दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप के कारण लॉकडाउन घोषित किया गया है। भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 21 दिनों की बंदी की घोषणा की है।
- कोरोना महामारी के कारण विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था के हालात बड़ी तेजी से खराब हो रहे हैं और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने जो आशंका जताई है वे और परेशान करने वाली है। आईएमएफ ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से धीमी हो रही है और यह साल 2009 की मंदी से भी बदतर हो सकती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का प्रभाव

- कोरोना वायरस की मार भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ना स्वभाविक है।
- नवीनतम संयुक्त राष्ट्र व्यापार रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था कोरोनो वायरस महामारी के कारण मंदी में जा सकती है। आयात में, चीन पर भारत की निर्भरता बहुत बड़ी है। शीर्ष 20 उत्पादों में से जो भारत दुनिया से आयात करता है, चीन उनमें से अधिकांश में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है।
- भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक आयात (लगभग 45%) चीन पर निर्भर है। लगभग एक-तिहाई मशीनरी और लगभग दो तिहाई कार्बनिक रसायन चीन से आते हैं। मोटर वाहन के कलपूर्जों और उर्वरकों के लिए भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी 25% से

अधिक है। इसके अतिरिक्त लगभग 65 से 70% सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री और लगभग 90% मोबाइल फोन चीन से भारत में आते हैं।

- इसलिए, हम कह सकते हैं कि चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण, चीन पर आयात निर्भरता के कारण भारतीय उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निर्यात के मामले में, चीन भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात साझेदार है और लगभग 5% हिस्सेदारी रखता है। इसका असर निम्नलिखित क्षेत्रों में हो सकता है जैसे कि जैविक रसायन, प्लास्टिक, मछली उत्पाद, कपास, अयस्कों, इत्यादि।
- दरअसल भारत सरकार ने कोरोना के चलते आगामी 15 अप्रैल तक के लिए सभी देशों के वीजा रद्द कर दिए हैं। इस क्षेत्र से दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमाई प्रति वर्ष होती है। इसमें नुकसान साफ-साफ दिख रहा है।
- इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अनुमान है कि विमानन उद्योग को यात्रियों से होने वाले कारोबार में कम से कम 63 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है।
- ऑटोमोबाइल उद्योग पर भी इसका खतरा बाकायदा देखा जा सकता है। भारत में इस क्षेत्र में लगभग पौने चार करोड़ लोग काम करते हैं। कोरोना वायरस ने भारत के ऑटो उद्योग के लिए कल-पुर्जो की किल्लत पैदा कर दी है। ऐसे में यहां बेरोजगारी का खतरा तुलनात्मक रूप से बढ़ गया है।
- मूडीज ने कहा कि, 'ये गिरावट कॉरपोरेट, छोटे एवं मझोले उद्योग और खुदरा क्षेत्र में अधिक होगी, और इसका असर बैंकों के मुनाफे और पूंजी पर पड़ेगा। कोरोना वायरस महामारी से आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने से भारत की आर्थिक वृद्धि में कमी होगी।' आर्थिक गतिविधियों में तेज गिरावट और बेरोजगारी बढ़ने से आम आदमी और कॉरपोरेट की माली हालत खराब होगी, जिसके चलते बैंकों पर दबाव बढ़ेगा। इसमें कहा गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में दिवालियापन के बढ़ते दबावों से बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी, क्योंकि बैंकों ने इन्हें काफी पैसा दे रखा है। मूडीज ने कहा है कि इससे मुनाफे और ऋण वृद्धि में कमी आने का अनुमान है।
- संयुक्त राष्ट्र की कांफ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने कहा है कि कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया की 15 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत भी है। चीन में उत्पादन में आइ कमी का असर भारत पर साफ-साफ देखा जा सकता है। अंदाजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग 35 करोड़ डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
- कोरोना वायरस के चलते भारतीय शेयर बाजार ने भी गिरावट के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ना सिर्फ भारत, बल्कि दुनियाभर के शेयर बाजारों का हाल बुरा है। हालत इतनी बदतर हो गई कि हाल ही में सेंसेक्स और निफ्टी 10 फीसदी से अधिक लुढ़क गए और इस वजह से ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। मालूम हो कि जब बाजार में 10 फीसदी या उससे अधिक की गिरावट आती है, तो उसमें लोअर सर्किट लग जाता है और ट्रेडिंग कुछ देर के लिए रोक दी जाती है। बाजार में सर्किट के इतिहास पर नजर डाले तो बाजार में 12 साल में पहली बार लोअर सर्किट लगा है। शेयर बाजार की स्थिति पहले ही खराब थी अब यह और प्रभावित हो सकता है।
- सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोंस में भी ट्रेडिंग 15 मिनट के लिए रोक देनी पड़ी। अमेरिका के डाउ जोंस ने गिरने का इतिहास रच दिया। 24 घंटे में भारत समेत दुनिया के 7 देशों के बाजारों में लोअर सर्किट लगा। इनमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जमर्नी, इटली और रूस शामिल हैं।
- मूल्य परिदृश्य पर, मांग और उत्पादन गतिविधियों में मंदी, कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में तेज गिरावट और अन्य प्रमुख वस्तुओं जैसे ऊर्जा, आधार धातुओं और उर्वरकों में कीमत घट जाएगी। आने वाले समय में मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ने की उम्मीद है।

कोरोना वायरस का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- वैश्वीकरण के दौर में विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अतः यदि कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तो उसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। कोरोना वायरस के कारण कुछ ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि इसके कारण अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। परिणामस्वरूप इसका असर विश्व के अन्य देशों पर पड़ना लाजमी है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में रहने वाले दुनिया के दो-तिहाई लोगों को अभूतपूर्व आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अपने नए विश्लेषण में इन राष्ट्रों के लिए $ 2.5 ट्रिलियन का बचाव पैकेज जारी करने को कहा है।
- अंकटाड (UNCTAD) विश्लेषण के अनुसार, कमोडिटी से भरपूर निर्यातक देशों को अगले दो वर्षों में विदेशों से निवेश में $ 2-3 ट्रिलियन की गिरावट का सामना करना पड़ सकता है।
- UNCTAD के अनुसार, विश्व अर्थव्यवस्था इस वर्ष मंदी के दौर में जाएगी, जिससे अरबों-खरबों डॉलर की वैश्विक आय का नुकसान होगा। यह विकासशील देशों के लिए गंभीर मुसीबत बन जाएगी।
- अमेरिकी बाजार में वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे खराब अनुभव कोरोना वायरस के कारण महसूस किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि अमेरिकी बाजार में 12% से अधिक की गिरावट आई है।
- एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मार्च के पहले हफ्ते में जारी प्रेस रिलीज में यह कहा कि कोरोना का विकासशील एशियाई अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर होगा। इसने अनुमान लगाया कि कोरोना से दुनिया की अर्थव्यवस्था को 77 बिलयन डॉलर से 347 बिलयन तक यानि वैश्विक जीडीपी का 0.1 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत तक का नुकसान हो सकता है।
- रिपोर्ट में यह कहा गया है कि- "सोशल डिस्टेंशिंग के बाद समुद्री पर्यटन, एयर लाइंस, होटल्स, कसिनो, खेलों के कार्यक्रम, मूवीज, थिएटर्स, रेस्टुरेंट और अन्य उद्योगों पर व्यापक असर होगा।" उन्होंने अंदेशा जताया कि इसका अमेरिका समेत दुनियाभर की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर होगा और आने वाले महीने में कई लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा।

- आईएमएफ के अनुसार, मौजूदा बंद (Lock down) के कारण विश्व अर्थव्यवस्था 1.5 प्रतिशत तक गिर गई है। निवेशकों ने उभरते बाजारों से अपने निवेश को हटा दिया है। साथ ही, साल 2020 के लिए वैश्विक विकास का दृष्टिकोण नकारात्मक है।
- अनुमान है कि वैश्विक जीडीपी में वर्ष की पहली तिमाही में 0.8 फीसद और दूसरी में 0.5 फीसद की कमी आएगी।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का प्रभाव 2.7 टिलियन डॉलर का माना जा रहा है, जो भारत की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है। दवाइयों की खपत और वाहनों की बिक्री में कटौती तथा पर्यटन से लेकर होटल उद्योग आदि सभी इसकी चपेट में रहेंगे।
- संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, इस महामारी के कारण 50 लाख से लेकर ढाई करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी और अमेरिका को श्रमिक आय के रूप में 960 अरब से लेकर 3.4 खरब डॉलर का नुकसान होगा।
- व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर 30 से 40 फीसदी का नकारात्मक दबाव पड़ेगा और विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय आगमन में 20 से 30 फीसदी की गिरावट आ जाएगी। आईएचएस मार्केट ने पिछले सप्ताह कहा था कि उसे वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के साल 2020 में कम होकर 1.7 फीसदी पर आ जाने का अनुमान है।

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण तथा इसकी रोकथाम के लिये आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-

- कोरोना वायरस के संक्रमण में लोगों के इलाज में लगे डॉक्टरों, पारामेडिकल कर्मियों, चिकित्सा सेवा कर्मियों को 50 लाख रुपये प्रति परिवार का बीमा कवर दिया जायेगा।
- 80 करोड़ परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो दाल तीन महीने तक मुफ्त उपलब्ध कराई जायेगी।
- जरूरतमंदों की मदद के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।
- प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.69 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में दो-दो हजार रुपये की अग्रिम किस्त का भुगतान किया जायेगा।
- मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये की गई है। इससे पांच करोड़ परिवारों को लाभ होगा।
- तीन करोड़ गरीब वृद्धों, गरीब विधवाओं तथा गरीब दिव्यांगों को एक-एक हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है।
- 20 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाओं को अगले तीन महीने तक प्रति माह 500 रुपये मिलेंगे।
- उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक रसोई गैस सिलिंडर मुफ्त मिलेगा। इससे 8.3 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ होगा।
- 63 लाख महिला स्वयंसेवी समूहों के लिए रेहन- मुक्त कर्ज दोगुना कर 20 लाख रुपये किया गया।
- कई कंपनियों के लिये अगले तीन महीने तक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का भविष्य निधि योगदान सरकार जमा करेगी।
- कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते से 75 प्रतिशत जमा राशि अथवा तीन महीने के वेतन में जो भी कम हो उसे निकालने की अनुमति होगी।
- कुल 1.7 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से होगा।

आगे की राह

- कोरोना वायरस से होने वाला आर्थिक नुकसान का सटीक अंदाजा लगाना अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि इस वायरस का प्रसार अभी भी बढ़ता जा रहा है। फिर भी अभी तक जो आँकड़े प्राप्त हुए हैं उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही है। यहीं विश्व की कई अर्थव्यवस्थाएं कई वर्ष पिछे चली गई हैं। इनमें अमेरिका, चीन, जर्मनी इटली, स्पेन आदि प्रमुख हैं।
- जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारतीय अर्थव्यवस्था की इससे काफी प्रभावित हुई है। लेकिन अभी भी संतोष की बात यह है कि जिस तरह सरकार और नागरिक समाज के द्वारा जागरूकता तथा ऐतिहात बरते जा रहे हैं उससे भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षति वैश्विक अर्थव्यवस्था से कम होने की उम्मीद है। हालांकि हमें हाथ पे हाथ रखकर बैठने की आवश्यकता नहीं है बल्कि भारत सरकार को लगातार विकास की गति का अवलोकन करने की आवश्यकता है, साथ ही चीन पर निर्भर भारतीय उद्योगों को आवश्यक समर्थन एवं सहायता प्रदान करनी चाहिए। जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को इस संकट की घड़ी से बाहर निकाला जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप के कारण लॉकडाउन घोषित किया गया है। यह लॉकडाउन वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करेगा? इसके प्रभाव से निपटने के लिए किये जा रहे वैश्विक उपायों का उल्लेख करते हुए कुछ अन्य उपाय भी सुझाइए जिससे इसके दुष्परिणाम से निपटा जा सके।

7. पी.एम. केयर्स फंड : कोरोना महामारी से लड़ने की एक पहल

चर्चा का कारण

- कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2020 को एक अलग से फंड बनाने का निर्णय लिया जिसका नाम Prime minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM CARES) FUND है। वर्तमान में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) के होते हुए PM Cares Fund का गठन की जरूरत क्यों पड़ी, यह एक चर्चा का विषय है।

प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)

- कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चिंताजनक हालात से निपटने के लिए बने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएमकेयर्स फंड) के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय को COVID-19 के खिलाफ युद्ध में मदद करने के लिए बहुत से अनुरोध मिले थे तद्नुसार, फंड की स्थापना की गई थी और इसका उपयोग कोरोना महामारी प्रबंधन और अनुसंधान के लिए किया जाएगा।
- देश में कोरोना संकट के इस दौर में वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स और कारोबारियों को लगातार छूट दी है। इसमें इनकम टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज के अतिरिक्त टैक्स रिटर्न भरने की भी छूट दी गयी है।
- भारत सरकार के अधिकारिक बयान में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड में दान पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80G के तहत 100 फिसदी टैक्स छूट मिलेगी।
- सरकार ने इस फंड को अध्यादेश के माध्यम से कानूनी रूप भी दिया है। साथ ही सकल आय पर दान की गयी रकम के बराबर 100 फिसदी कटौती की छूट भी लागू होगी। अध्यादेश में वित्त वर्ष 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। मार्च, अप्रैल और मई में दी जाने वाली एक्साइज ड्यूटी के रिटर्न को भी 30 जून 2020 तक भरा जा सकता है।

इनकम टैक्स की धारा 80जी

- इनकम टैक्स कानून की धारा 80 जी के अंतर्गत किसी धर्मार्थ संस्था, शैक्षणिक संस्थान या सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रस्ट को दान में रकम देने पर टैक्स में छूट प्राप्त किया जा सकता है। इसका फायदा व्यक्तिगत आयकरदाता, कंपनी, एचयूएफ और NRIs भी उठा सकते हैं। कटौती का क्लेम कुछ मामलो में 100 फिसदी तक तो कुछ में 50 फिसदी तक या किसी में बिना लिमिट वाला हो सकता है।
- सेक्शन 80 जी के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन (टैक्स से छूट) पाने के लिए केवल टैक्सेबल या एंगजेप्ट (जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड से आय) को ही दान में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ट्रस्ट या संस्थान को आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 12(A) में रजिस्टर होना जरूरी है। आयकर विभाग ने जिन संस्थानों/एंटिटीज की लिस्ट नोटिफाई कर रखी है उनके कुछ उदाहरण प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, केन्द्र सरकार का नेशनल डिफेंस फंड सेट अप, जिला साक्षरता समिति, नेशनल कल्चरल फंड, प्रधानमंत्री सुरक्षा रिलीफ फंड आदि है।

- कॉर्पोरेट मामलो के मंत्रालय ने घोषणा किया है कि प्रधानमंत्री केयर्स फण्ड में दान किया गया धन कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) को पूरा कर सकती है और कम्पनियों के योगदान को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में गिना जाएगा। पीएम केयर्स फंड में डोनेशन का माध्यम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इण्टरनेट बैकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस/एनईएफटी आदि है।

भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

- इसमें जिन कम्पनियों की सलाना नेटवर्थ 500 करोड़ रु या सलाना आय 1000 करोड़ रु या सलाना लाभ 5 करोड़ रु हो तो उनके कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) पर खर्च करना जरूरी होता है। यह खर्च तीन साल के औसत लाभ का कम से कम दो प्रतिशत होना चाहिए।

पीएम केयर फंड का उद्देश्य

- पीएम केयर्स फण्ड करोना महामारी में राहत कोष के रूप में भरण-पोषण करेगा।
- पीएम केयर्स फण्ड इस आपदा में अन्वेषण तथा क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करेगा।
- यह फण्ड सूक्ष्म दान Micro-donations (न्यूनतम 10 रु तक की भी) के द्वारा व्यापक रूप में सहायक होगा।
- यह वित्तीय दबाव को सरकार पर कम करने में सहायता करेगा।
- पीएम केयर फंड अस्थायी तौर पर बनाए जाते हैं तथा इनका उद्देश्य खत्म होने के बाद इन्हें बंद किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister National Relief fund)

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का निर्माण अचानक हुए प्राकृतिक आपदा या मानवजनित आपदा से बचाव के लिए किया गया था। भारत-पाकिस्तान के बटवारे के समय (1947) हुए हिंसा तथा पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में लोगों के सहायता के लिए इस कोष का निर्माण तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने किया था।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) इसके सहायक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं।
- यह कोष पूर्णतः जनता द्वारा सहायतार्थ राशि से विकसित है, इसके लिए बजट या विशेष पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रधानमंत्री केयर्स फण्ड (PM-CARES Fund) बनाम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF)

- प्रधानमंत्री केयर्स फण्ड और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, दोनों ही आपदा के समय सहायतार्थ हेतु बनाया गया कोष है तथा दोनों ही पूर्णतः जनता के द्वारा दान की गयी राशि से संयोजित है। दोनों सहायतार्थ कोष इण्डियन ट्रस्ट एक्ट-1882 के नियमों द्वारा संचालित होता है, तो फिर नये फंड के निर्माण की क्या आवश्यकता है। इसके उत्तर में यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत भारत में कहीं भी तथा किसी भी प्रकार की आपदा को कवर किया जा सकता है, परंतु पीएम केयर्स फण्ड सिर्फ कोरोना वायरस या फिर इसी प्रकार की महामारी आपदा के लिये बनाया गया सहायतार्थ कोष है।
- प्रधानमंत्री केयर्स फण्ड में सूक्ष्म डोनेशन का प्रावधान है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहतकोष में सुक्ष्म डोनेशन का प्रावधान नहीं है, इसमें न्यूनतम 100रु दान करने का प्रावधान है।

- दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि इस प्रकार के खर्च के लिए भारत के संचित निधि से खर्च करना चाहिए, तो इसके प्रत्युत्तर में सरकार का यह कहना है कि भारत की संचित निधि से किए गए किसी भी खर्च को संसद द्वारा पारित कराने की आवश्यकता होती है। अतः इस प्रकार के विधायी बाधा को दूर करने के लिए भी इस फंड का निर्माण किया गया है।

संचित निधि कोष

सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, बाजार से लिए गए ऋण और स्वीकृत ऋणों पर प्राप्त ब्याज संचित निधि (Consolidate Fund) में जमा होते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित यह ऐसी निधि है जिस में समस्त एकत्र कर/राजस्व जमा, लिये गये ऋण जमा किये जाते है। यह भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गयी है। कोई भी धन इसमें बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला/जमा या भारित नहीं किया जा सकता है।

- प्रधानमंत्री केयर्स फण्ड को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के साथ सीधे तौर पर जोड़ा गया है जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के साथ नहीं जोड़ा गया।

आगे की राह

- संकट की स्थिति, चाहे प्राकृतिक हो या मानवीय इसमें प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए और बुनियादी ढ़ांचागत सुविधाओं को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए त्वरित व सामुहिक कदम उठाना जरूरी हो जाता है। अतः अवसंरचना और संस्थागत क्षमता के पुनर्निर्माण/विस्तार के साथ-साथ त्वरित आपातकालीन कदम उठाना और समुदाय की प्रभावकारी सुदृढ़ता के लिए क्षमता निर्माण आवश्यक हो जाता है। नई प्रौद्योगिकी और अग्रिम अनुसंधान निष्कर्षों का उपयोग भी इस तरह के ठोस कदम का अविभाज्य अंग बन जाता है।
- किसी भी बड़ी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी सबसे प्रमुख तरीका है। ऐसे में PM केयर्स राहत कोष एक बेहतर और अनुठा उदाहरण है।
- इस कोष में छोटी-छोटी धनराशियाँ दान के रूप में दी जा सकेंगी। इससे बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- आपदा और आपदा प्रबंधन।

प्र. कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री केयर्स फंड का निर्माण किया गया है। यह फंड इस महामारी से निपटने में कितना कारगर होगा? चर्चा करें।

सात महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

1. निधि प्रयास कार्यक्रम

चर्चा का कारण

- हाल ही में निधि प्रयास कार्यक्रम के तहत पुणे (महाराष्ट्र) की इनक्यूबेटर कंपनी ने एक तकनीकी विकसित की है, जो कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए कारगर साबित हो सकती है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किए गए इस उत्पाद का नाम 'Scitech Airon' है तथा इसके द्वारा निगेटीव आयानों को उत्पन्न किया जाता है।

प्रभाव

- ऑयन जेनेरेटर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यह प्रतिरोध क्षमता ऑयन वातावरण से बाहर अगले 20-30 दिनों के लिए सहायक हो सकती है।
- यह कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसे गैस प्रदूषकों को भी विघटित कर सकती है।
- सार्वजनिक परिवहन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बंद वातारण वाले स्थान जैसे घर, हवाई जहाज का केविन, अस्पताल का वार्ड आदि स्थानों पर वायु में तैरते वायरसों के खिलाफ भी यह उपयोगी हो सकती है।

निधि प्रयास कार्यक्रम क्या है?

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निधि (National Inititative Developing and Harnessing Innovation) कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। इस कार्यक्रम के द्वारा नवप्रर्वतक एवं उद्यमियों को विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार करने हेतु अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
- निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ही प्रयास (Promoting and Accelerating young and Aspiring innovators Startups) कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है जिसके अंतर्गत स्थापित तकनीकी व्यापार इन्क्यूबेटर (TBI) को अनुदान दिया जाता है।
- Scitech Airon द्वारा उत्पन्न किए गए निगेटिव ऑयन घरों, अस्पतालों, स्कूलों, उद्योगों जैसे बंद वातावरण में रोग पैदा करने वाले वायरस और बैक्टीरिया को मारने में काफी कारगर है।
- ऑयन जेनरेटर मशीन को एक घंटे चलाने पर कमरे के 99.7 प्रतिशत वायरस खत्म हो जाते हैं।
- साइंटेक एअरऑन (Scitech Airon) ऑयोनाइजर मशीन प्रति 8 सेकेण्ड में लगभग 100 मिलियन निगेटिव ऑयन पैदा कर सकती है।
- ऑयन जेनरेटर के द्वारा उत्पादित शोधक गुण युक्त निगेटीव आयन वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों के बाहरी प्रोटीन को विघटित कर देते हैं, जिससे हवा के द्वारा फैलने वाले रोगों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

अन्य तथ्य

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस उत्पाद के निर्माण और बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन के लिए एक करोड़ रुपये जारी किया है।
- पुणे स्थित जैकलीन वेदर टेक्नोलॉजी इस उत्पाद का निर्माण कर रही है।

2. सार्क सम्मेलन 2020

चर्चा का कारण

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए सार्क देशों ने 15 मार्च 2020 को विडियो कॉल के द्वारा सम्मेलन को सम्पन्न किया।
- इसका विषय- "स्वस्थ ग्रह के लिए समय पर कारवाई" था।
- 2020 में सार्क सम्मेलन कोरोनो वायरस की महामारी की वजह से विडियो कॉल के द्वारा आयोजित हुआ।

सार्क की पृष्ठभूमि

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) दक्षिण एशिया के आठ देशों (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव और भूटान) का राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसम्बर 1985 को हुई थी।
- आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
- पाकिस्तान को 2016 में सार्क सम्मेलन को मेजबानी करनी थी परन्तु भारत, अफगानिस्तान, भूटान व बांग्लादेश ने, पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थक देश का हवाला देते हुए सार्क सम्मेलन के अनुकूल देश नहीं बताया था। 2016 से सार्क का कोई सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ था।

कोरोना वायरस से सार्क देशों की चुनौतियाँ

- सार्क देशों की साक्षरता 71.00% है। यहाँ की जनसंख्या बुनियादी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य प्रथाओं को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं है।
- दक्षिण एशिया की जनसंख्या घनत्व 303 वर्ग किमी है। विशेषकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में जनसंख्या घनत्व बहुत उच्च है। इतनी ज्यादा जनघनत्व वाले जगहों पर कोरोना का संक्रमण बढ़ने की सम्भावना बढ़ जाती है।
- निजी अस्पताल बहुत महँगें हैं और सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्र बड़े संकट के समय स्वास्थ्य उपचार के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और भारत, ये सार्क देश चीन को सीमा को छूते हैं। चीन की आर्थिक गलियारा एवं सिल्क रोड, वायरस के प्रकोप की सम्भावना को बढ़ा सकते हैं इससे सार्क देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

सार्क देशों की पहल

- सार्क देशों ने सभी बॉर्डर चेक प्वाइंट बंद करने का निर्णय लिये हैं ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण को नियन्त्रित किया जा सके।
- सभी सार्क देश कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित सूचना को सॉफ्टवेयर से सांझा करने तथा प्रशिक्षण के लिए सहयोग करने को सहमत हुए हैं।
- सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गयी पहल है, जिसके तहत कोविड-19 से निपटने के लिए सभी सार्क देशों ने मिलकर कोविड फंड बनाया। भारत ने इसमें 10 मिलियन डॉलर के डोनेशन के साथ पहल की है। इसमें डोनेशन स्वैच्छिक है।
- भारत ने Rapid Response Team (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) के गठन के बारे में विचार व्यक्त किया जो डॉक्टर एवं स्पेशिलिस्ट की टीम होगी जो सार्क देशों के लिए संक्रमण के समय तत्पर रहेगी।

आगे की राह

- सार्क देशों के सभी विशेषज्ञ आपात में विडियो कान्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन बातचीत से अपने अनुभवों और तकनीक को सांझा कर सकते हैं।
- सभी सार्क देश मिलकर एक कॉमन रिसर्च सेन्टर बना सकते हैं जहाँ पर वैज्ञानिक एवं डॉक्टर सभी एक जगह इकट्ठे होकर एक साथ कोई वैक्सीन या इलाज को संपन्न कर सकते हैं।

3. कोविड–19 से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया मॉडल

चर्चा का कारण

- हाल ही में दक्षिण कोरिया ने कोविड-19 के संक्रमण से निपटने के लिए एक मिशाल पेश किया है, जिसे 'कोरियाई मॉडल' कहा जा रहा है।
- जनवरी में पहला मामला दक्षिण कोरिया में सामने आने के तुरंत बाद ही सरकार ने नैदानिक किट निर्माताओं से न केवल घरेलू उपयोग बल्कि निर्यात के लिए भी पर्याप्त किट के उत्पादन के लिए कहा। इसे संभव बनाने के लिए लाइसेंस तेजी से बांटे गए।

दक्षिण कोरिया ने क्या किया

- ध्यातव्य है कि दक्षिण कोरिया मॉडल ट्रिपल-'T' पर आधारित है। ट्रिपल 'T' अर्थात Trace, Test और Treat पर आधारित है।
- इसमें सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान की गई और उनके संपर्कों को अलग करने के लिए बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग (परीक्षण) शुरू कर दी गई तत्पश्चात् कोरोना की पुष्टि हो जाने पर मरीज का इलाज किया गया।
- संक्रमण प्रसार रोकने के लिए लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के लिए भी कहा गया। देश पहले की तरह काम करता रहा। लोग काम पर गए और स्कूल खुले रहे।
- दक्षिण कोरिया तकरीबन 80 हजार लोगों की टेस्टिंग एक हफ्ते में कर रहा है।
- दक्षिण कोरिया में दर्जनों ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां लोग गाड़ी में बैठे-बैठे टेस्ट करा सकते हैं। यहां लोगों के नाक और मुंह का स्वैब लिया जाता है और घर जा सकते हैं। टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर उनको कॉल करके बताया जाता है, जबकि नेगेटिव आने पर उनको फोन पर सिर्फ एक मैसेज भेजा जाता है।
- दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस टेस्ट के लिए बनाए गए ये लैब्स 24×7 काम कर रहे हैं। यहां कोरोना वायरस टेस्ट के लिए 96 पब्लिक और प्राइवेट लैब का निर्माण किया गया है।
- दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस से मौत की दर 0.7 फीसदी है। अगर वैश्विक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी की गई दर की बात करें तो यह 3.4 फीसदी है। गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया की आबादी पांच करोड़ है।

अन्य देशों ने क्या किया

- चीन ने यात्रा प्रतिबंधों के साथ जनवरी 2020 में बड़े पैमाने पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी।
- महामारी के खिलाफ जापान की प्रतिक्रिया सबसे खराब रही। स्वैच्छिक रूप से सामाजिक दूरी बनाने के निर्देश थे। इसलिए, लोग मिलते-जुलते रहे, काम पर गए, सार्वजनिक परिवहन में यात्रा की और यहां तक कि वसंत का जश्न मनाने के लिए समूहों में भी साथ आए।
- जापान की तरह ही ब्रिटेन ने भी कोई ठोस उपाय नहीं किए। इसने सिर्फ बीमार लोगों को घर पर रहने के लिए बोल दिया। सरकार ने यह कहते हुए इसे उचित ठहराया कि वे स्वास्थ्य प्रणाली पर अनावश्यक रूप से अतिरिक्त बोझ डाले बिना सबसे कमजोर लोगों की रक्षा कर रहे थे।

भारत ने क्या किया

- भारत में प्रति सप्ताह 60 से 70 हजार लोगों की टेस्टिंग करने की क्षमता है। इसी कड़ी में सरकार ने 25 प्राइवेट लैब को कोविड-19 के मरीजो को टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। इनके लैब्स के पास देश भर में हजारों कलेक्शन सेंटर भी हैं। भारत में आज की तारीख में 113 लैब्स ऐसे हैं जिसमें टेस्टिंग हो रही है।
- भारत में दो प्राइवेट लैब्स को कोरोना वायरस टेस्टिंग किट बनाने की मंजूरी आईसीएमआर ने दी है। पुणे की मायलैब डिस्कवरी भारत की पहली ऐसी फर्म है जिसे टेस्टिंग किट तैयार करने और उसकी बिक्री करने की अनुमति मिली है। मायलैब की प्रत्येक किट से 100 सैंपलों की जांच हो सकती है।

4. मलेरिया–रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन

चर्चा का कारण

- हाल ही में सरकार ने मलेरिया-रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को अनुसूची-एच 1 (H1) के तहत अधिसूचित कर दिया है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और उसके फार्मूले के साथ बनने वाली अन्य सभी दवाओं को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम (Drugs and Cosmetics Act) की अनुसूची H1 में शामिल किया है।

पृष्ठभूमि

- सरकार ने आम लोगों को मलेरिया-रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोरोना वायरस के इलाज में न करने की चेतावनी दी है। हाल ही में एक रिपोर्ट में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को कोविड-19 के इलाज में कारगर बताया गया था, जिसके बाद से इस दवाई की ब्रिकी काफी बढ़ गई थी।
- तेजी से बढ़ती बीमारी कोविड-19 पर इस दवा को काफी असरदार माना जा रहा था, लेकिन जल्दबाजी में इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए भारत ने इसके निर्यात पर भी बैन लगा दिया है।
- ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियमों के तहत अनुसूची एच 1 के तहत वर्गीकृत दवाओं को 'ओवर द काउंटर' (दवाई की पर्ची के बिना) नहीं बेचा जा सकता। यह अनुसूची वर्ष 2013 में पेश की गई थी।
- इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने फ्रंट लाइन चिकित्साकर्मियों और उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए इस दवा की सिफारिश की थी जो कोरोनोवायरस संक्रमित रोगी के संपर्क में थे।

अनुसूची H1 क्या है?

- अनुसूची H1 के तहत सूचीबद्ध दवाओं को निम्नलिखित शर्तों के तहत बेचा जाना आवश्यक है:
- H1 दवाओं की आपूर्ति को एक अलग रजिस्टर में पंजीकृत किया जाना आवश्यक है रजिस्टर में प्रिस्क्राइबर, मरीज का नाम और पता होना चाहिए। और यह विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा न्यूनतम तीन वर्षों के लिए रखा जाना चाहिए।
- अनुसूची H1 के तहत सूचीबद्ध दवा को लाल रंग में "Rñ" के रूप में लेबल किया जाना चाहिए।

H1 सूची में शामिल कुछ दवाएं

- डोरीपेनम, पेंटाजोसिन, हाइड्रोक्लोराइड, माक्सिफ्लोक्सारिन, ट्रोमाडोल, जोलपीडेम, बालोफ्लोक्सारिन, अल्प्राजोलम, कफ सीरप कोरेक्स सहित एंटीबायोटिक, हार्ट, किडनी और टीबी से संबंधित दवाएं जिनसे नशा आता हो।
- एच-1 अनुसूची में शामिल दवाओं की लेवलिंग अन्य दवाओं से अलग होगी। इसके अलावा शराब और सिगरेट की तरह इनके पैकेट पर भी चेतावनी लिखी होगी। लाल रंग का प्रयोग ज्यादा होगा और दवाओं के सावधानी से प्रयोग की बात भी दवा के रैपर पर लिखी होगी।

कारण

- अनुसूची एच-1 में 46 किस्म के एंटीबायोटिक्स, नींद और टीबी जैसी बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाइयां शामिल हैं।
- डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इनकी बिक्री पर रोक लगाने के पीछे सरकार की यह सोच है कि लगातार एंटीबायोटिक्स का उपयोग बढ़ने के कारण लोग इसके आदी हो रहे हैं और इलाज के दौरान सामान्य दवाइयां उन पर असर ही नहीं कर रही हैं।
- ऐसे में हाई पॉवर ड्रग का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं बच रहा। इसी बात को ध्यान में रखकर इनकी खुली बिक्री पर रोक लगाई जा रही है।

5. वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट–2020

चर्चा का कारण

- हाल ही में सतत् विकास समाधान नेटवर्क (Sustainable Development Solution Network-SSDN) ने "वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट–2020" जारी की है।
- 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 मार्च को "विश्व खुशहाली दिवस" के रूप में नामित किया गया था।

मुख्य बिन्दु:

- इसमें 153 देशों की रैकिंग स्थान दी गई है।
- फिनलैण्ड लगातार तीसरे वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश है।
- स्विट्जरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों के साथ नार्डिक राज्यों ने शीर्ष 10 में अपना दबदबा बनाया है।
- लक्जमबर्ग ने इस साल पहली बार 10वाँ स्थान प्राप्त किया है।
- निम्न खुशहाली वाले देश हिंसक संघर्ष और अत्यधिक गरीबी से पीड़ित है। जिम्बाम्बे, दक्षिण सूडान और अफगानिस्तान को दुनिया के सबसे कम खुशहाल देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- नगर आर्थिक क्रियाओं के केन्द्र होते हैं। तीव्र नगरीकरण के कारण नगरों का महत्त्व लगातार बढ़ रहा है, अतः वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में नगरों को भी शामिल किया गया है।

भारत का प्रदर्शन

- भारत का स्थान पिछली बार 140वाँ था जो इस साल नीचे गिरकर 144वाँ हो गया है।
- भारत की रैकिंग अपने पड़ोसियों की तुलना में कम है। नेपाल 92वें स्थान पर, पाकिस्तान 66वें स्थान पर, बांग्लादेश 107वें और श्रीलंका 130वें स्थान पर हैं।

रिपोर्ट के बारे में

- वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। इस साल इसका आठवां संस्करण है।
- खुशहाली को आंकने के लिए सूचकांक में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सुरक्षा, स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा, सामाजिक सरोकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा भ्रष्टाचार और उदारता की अवधारणा को आधार बनाया जाता है।

सतत् विकास समाधान नेटवर्क (Sustainable Development Solution Network)

- सतत् विकास समाधान नेटवर्क (SSDN) को 2012 में शुरू किया गया था जो सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) और पेरिस जलवायु समझौते के लिए व्यवहारिक समस्या को सुलझाने लिए वैश्विक रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता जुटाता है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में स्थापित किया गया था।

6. अरूणाचल प्रदेश में आदिवासी तालाबंदी अनुष्ठान

चर्चा का कारण

- हाल ही में अरूणाचल प्रदेश में जनजातियों ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्वदेशी लॉकडाउन अनुष्ठानों को पुनजीर्वित किया है।
- अरूणाचल प्रदेश राज्य भौगोलिक रूप से चीन के सबसे नजदीक है जहाँ कोविड-19 की प्रकोप शुरू हुआ।

अलग-अलग जनजातियों द्वारा संपन्न अनुष्ठान

- **गैलोस जनजाति (Galos tribe):** गैलोस जो अरूणाचल प्रदेश के 26 प्रमुख जनजातियों में से एक है, जोकि पश्चिमी सियांग जिले में निवास करती है, ने अर-रिनम (Arr-Rinam) नामक अनुष्ठान का आयोजन किया।
- जब भी कोई महामारी आती है तो अर-रिनम (Arr-Rinam) 48 घण्टे के लिए सर्वसम्मति से लगाया गया स्वदेशी लॉकडाउन है।
- अर-रिनम, अली-तरणम (अली शब्द का अर्थ महामारी और तरणम का अर्थ है जंगल) का अनुसरण करता है।
- ये अनुष्ठान अंतिम बार लगभग चार दशक पहले किया गया था जब जल-जनित बीमारी ने समुदाय के कई सदस्य को प्रभावित किया था।
- 30-40 वर्षों में यह पहली बार है कि मानवों की सुरक्षा के लिए इसका अभ्यास (अनुष्ठान) किया गया है।
- **आदि जनजाति (Adi tribe):** माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में अरूणाचल प्रदेश की आदि जनजाति दक्षिणी-चीन से आई थी।
- ये सुदूर उत्तर में पूर्वी सियांग और अरूणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिलों में निवास करती है।
- आदि समुदाय भी लॉकडाउन अनुष्ठान आयोजित करता है जिसे आदि जनजाति बोली में मोटर या पॉटर सिस्टम कहा जाता है।
- यह एक प्रथागत स्व-प्रतिबंध है, जहाँ स्थानीय लोग बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाकर गाँवों को बंद कर देते हैं।
- **निशि जनजाति (Nyishi tribe):** निशि जनजाति को बंगनी भी कहा जाता है, जो पूर्वी भूटान और अरूणाचल प्रदेश के आदिवासी लोग है।
- यह अरूणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है।
- ये चीन-तिब्बती परिवार की टिवोटो-बर्मन भाषा बोलते है।
- निशि जनजाति झूम कृषि, शिकार और मछली पकड़ने का कार्य करती है।
- पापुम पारे और पूर्वी कामेंग जैसे जिलों में निशि जनजाति की बहुलता है जहाँ इन्होंने अरू (Arru) नामक अनुष्ठान का आयोजन किया। जिसमें स्वत: लॉकडाऊन की स्थिति होती है।
- इनके धर्म में प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में विश्वास भी शामिल हैं।

7. इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) 2.0 योजना

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में विश्वस्तरीय अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में वृद्धि और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों के फैलाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कलस्टर्स 2.0 योजना का शुभारंभ किया।

पृष्ठभूमि

- देश में औद्योगिकीकरण और इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र (ESDM) में निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (EMC) योजना को 2012 में शुरू किया था।

संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना मंत्रालय, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की पहल के अनुसार भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (EMC) 2.0, लांच किया है। यह पहल इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली, डिजाइन और विनिर्माण (ESDM) क्षेत्र के विकास में सहायता, उद्यमशीलता, नवाचार और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर राजस्व में वृद्धि को उत्प्रेरित करेगी।
- आने वाले 5 वर्षों (2025) तक इसके लिए 40,995 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
- इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ईएमसी परियोजना में सामान्य सुविधाओं और सहूलियतों के अवसंरचना को सृजित किया जाएगा।
- इसमें सामान्य सुविधा केन्द्रों (CFC) के रूप में औद्योगिक सम्पदाओं/पार्कों/क्षेत्रों में अवसंरचना को उन्नत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना की जाएगी।
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में एजेंसी होगी। यह परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन

- वर्ष 2014-15 में एक लाख नब्बे हजार करोड़ (1,90,000Cr) रुपये का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण देश में हुआ था जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर चार लाख अठ्ठावन हजार छ करोड़ (4,58,006Cr) रुपये हो गया।
- वर्ष 2012-13 वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में भारत का हिस्सा 1.3 प्रतिशत था जो 2018-19 में 3 प्रतिशत हो गया।

ईएमसी 0.2 से लाभ

- इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली, डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश का प्रवाह बढ़ेगा।
- केन्द्र सरकार ने 20 लाख नए रोजगार (प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष) सृजन की संभावना व्यक्त की है।
- EMC 2.0 में निवेश के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- इसमें एक बड़ी कम्पनी के साथ वैल्यू चैन की कम्पनी का भी विकास होगा।
- इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अतिरिक्त उसके घटक (Component) के निर्माण को आगे बढ़ने की संभावना होगी।
- सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात से निर्भरता कम होगी।
- मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स (एमआरआई मशीन, एक्स रे मशीन पैथोलॉजिकल मशीन इत्यादि) की असीम संभावना भारत में है, जो आयुष्मान भारत और वेलनेस सेंटर को सफल बनाने में सहायता करेगें।
- वैश्विक प्रतियोगिता से भारतीय कम्पनियों को भी विजेता कम्पनी (चैम्पियन कम्पनी) बनने का अवसर मिलेगा।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. निधि प्रयास कार्यक्रम

प्र. निधि प्रयास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. निधि प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित की गई ऑयन जेनेरेटर से खाद्य पदार्थों के द्वारा फैलने वाले रोग को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
2. यह शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही दो

उत्तरः (a)

व्याख्याः निधि प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऑयन जेनरेटर मशीन जिसे घर में चलाने पर डिटरजेंस गुण वायरस, बैक्टिरिया और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों के बाहरी प्रोटीन विघटित हो जाते है और हवा में फैलने वाले रोगों पर नियंत्रण करने में मदद मिलता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यह कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइआक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिको को भी नष्ट कर देता है। इस तरह कथन 1 गलत हैं। ■

2. सार्क सम्मेलन–2020

प्र. सार्क सम्मेलन-2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन (सार्क) आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है।
2. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
3. 2019 में सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद में प्रस्तावित था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (a)

व्याख्याः दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसम्बर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। 2007 में अफगानिस्तान इसका आठवाँ सदस्य बन गया। यह 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू है। 2016 में सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद में प्रस्तावित था परंतु पाकिस्तान का आतंकवाद समर्थित देश होने के कारण इस सम्मेलन का बहिष्कार हुआ था। 2020 में यह सम्मेलन विडियो कॉल के द्वारा संपन्न हुआ जिसमें सभी देशों का कोरोना वायरस के खिलाफ साझा राजनीति हेतु चर्चा हुई। ■

3. कोविड–19 से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया मॉडल

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. दक्षिण कोरिया ने कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व में सबसे ज्यादा मेडिकल किट का निर्यात किया।
2. दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस से मृत्यु दर सबसे अधिक है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः जनवरी में पहला मामला सामने आने के बाद दक्षिण कोरिया ने मेडिकल किट निर्माताओं से न केवल घरेलू उपयोग बल्कि निर्यात के लिए भी किट के उत्पादन के लए कहा। परंतु विश्व में सबसे ज्यादा निर्यात नहीं किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से वैश्विक मृत्युदर 3.4 प्रतिशत है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 0.7 फिसदी है जो सबसे अधिक नहीं है। इस तरह दोनों कथन गलत है। ■

4. मलेरिया–रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन

प्र. मलेरिया-रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

ध्येय IAS
most trusted since 2003

1. सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की मंजूरी दी है।
2. सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर बैन लगा दिया है।
3. ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक नियमों के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को सिर्फ डॉक्टर की अनुमति के बाद ही खरीदा जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः सरकार ने आम लोगों को मलेरियारोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोरोना वायरस के इलाज में न करने की चेतावनी दी है। हाल ही में एक रिपोर्ट में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को कोविड-19 के इलाज में कारगर बताया गया था। इसके बाद दवाई कि बिकी बढ़ गई थी। जल्दीबाजी में इस्तेमाल को रोकने के लिए भारत ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक नियमों के तहत दवाओं को 'ओवर द काउंटर' नहीं बेचा जा सकता है। ■

5. वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट-2020

प्र. वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार 2008 में जारी किया गया था।
2. वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में इस वर्ष भारत का स्थान 144वाँ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 नहीं 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार 2012 में (न कि 2008) में जारी किया गया था। इस तरह कथन 1 गलत है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में इस वर्ष भारत का स्थान 144वाँ है। ■

6. अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी तालाबंदी अनुष्ठान

प्र. अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी तालाबंदी अनुष्ठान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा अर-रिनम अनुष्ठान के तहत 48 घण्टे का तालाबंदी किया गया जिसे स्थानीय भाषा में स्वदेशी लॉकडाउन कहा जाता है।
2. अर-रिनम अली-तरणम (अली शब्द का अर्थ महामारी और तरणम का अर्थ जंगल) का अनुसरण करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (d)

व्याख्याः अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा अर-रिनम अनुष्ठान के तहत 48 घण्टे का तालाबंदी किया गया जिसे स्थानीय भाषा में स्वदेशी लॉकडाउन कहा जाता है। अर्र-रिनम अली-तरणम (अली शब्द का अर्थ महामारी और तरणम का अर्थ जंगल) का अनुसरण करता है। ■

7. इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर 2.0 योजना

प्र. दिए गये कथनों में गलत कथन का चयन करें-

(a) इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर 2.0 योजना के अंतर्गत 15 राज्यों में 20 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कलस्टर तथा 3 सामान्य सुविधा केन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव किया गया है।
(b) वर्ष 2012-13 वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में भारत का हिस्सा 1.3% था जो 2018-19 में बढ़कर प्रतिशत हो गया।
(c) सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र लगभग 20 लाख रोजगार पैदा किया है।
(d) इस योजना के तहत आने वाले 5 वर्षों में 40995 करोड़ रुपये खर्च किये जाएगें।

उत्तरः (b)

व्याख्याः वर्ष 2012-13 वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में भारत का हिस्सा 1.3% था जो 2018-19 में बढ़कर 3% (न कि 8%) हो गया है। इस तरह कथन (b) गलत है। विदित हो कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना की शुरूआत 2012 में की गई थी। ■

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. नासा का सनराइज मिशन

हाल ही में नासा ने एक नए मिशन-सनराइज की घोषणा की है। इस मिशन के तहत यह अध्ययन किया जाएगा कि सूर्य में कैसे विशाल सौर कण तूफानों का निर्माण और प्रकाशन होता है।

इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों को सौर मंडल के कामकाज को समझने में भी मदद करना है। इस मिशन की शुरूआत 1 जुलाई, 2023 को होने की उम्मीद जताई जा रही है।

सनराइज मिशन के प्रमुख उद्देश्य

- यह मिशन इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा कि सूर्य का विकिरण अंतरिक्ष पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है।
- यह भविष्य में चंद्रमा या मंगल ग्रह से संबंधित विभिन्न मिशनों पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का सौर तूफानों से बचाव करेगा।
- यह सूर्य के स्पेक्ट्रम अर्थात वर्णक्रम के उस हिस्से का भी अध्ययन करेगा जो आयनमंडल के कारण पृथ्वी पर नहीं देखा जा सकता है।
- यह सूर्य के बारे में वह जानकारी जुटाने में भी सहायता करेगा जो अन्य सौर जांच यंत्रों - पार्कर सोलर प्रोब, सोलर ऑर्बिटर और ग्राउंड-बेस्ड डैनियल के. इनौय सौर दूरबीन से हासिल नहीं हो सकती है।

सनराइज मिशन: प्रमुख विशेषताएं

- सन राइज मिशन में छह क्यूबसैट्स लगे होंगे जो एक बहुत बड़ी रेडियो दूरबीन के तौर पर काम करेंगे।
- यह मिशन एक पेलोड ऑर्बिटल डिलीवरी सिस्टम (PODS) से जुड़ा होगा और अपने 6 क्यूबसैट्स को जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट (GEO) में तैनात करेगा। ये सभी 6 क्यूबसैट्स एक दूसरे से कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर कार्य करेंगे। सभी क्यूबसैट्स सौर सक्रियता से कम आवृत्ति के उत्सर्जन की रेडियो छवियों का निरीक्षण एक साथ करेंगे और उन्हें नासा के गहन अंतरिक्ष नेटवर्क के माध्यम से साझा करेंगे।
- ये क्यूबसैट्स पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर कार्य करेंगे। ताकि रेडियो संकेत अवरुद्ध न हों और सन राइज इन रेडियो संकेतों का निरीक्षण करेगा।
- ये सभी क्यूबसैट्स उस स्थान को इंगित करने के लिए 3 डी मानचित्र बनाएंगे जहां विशाल कण सूर्य पर उत्पन्न होते हैं और जब वे विशाल कण अंतरिक्ष में बाहर की ओर बढ़ते हैं तो कैसे विकसित होते हैं। इस जानकारी से यह निर्धारित करने में मदद करेगी कि विकिरण के इन विशाल जेटों की शुरुआत कैसे होती है और कैसे ये तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं।
- ये सभी क्यूबसैट्स सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से निकलने वाली रेखाओं के विभिन्न ग्रहों के बीच अंतरिक्ष में पहुंचने के पैटर्न के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करेंगे। इस प्रकार की मैपिंग पहली बार की जाएगी।
- सनराइज मिशन को मैक्सार द्वारा निर्मित वाणिज्यिक उपग्रह/सैटेलाइट द्वारा राइड शेयर मिशन के रूप में लॉन्च करने की पेशकश की गई है। इसे एक वाणिज्यिक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किए जाने की संभावना है।

2. हिमालयन आईबेक्स

- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) के वैज्ञानिकों के एक हालिया अध्ययन ने यह साबित कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की ट्रांस-हिमालयी श्रेणियों में पाया जाने वाला हिमालयन आईबेक्स, साइबेरियन आईबेक्स से अलग व विशिष्ट प्रजाति है। एंडेंजर्ड स्पीशीज रिसर्च' (Endangered Species Research) पत्रिका के अनुसार साइबेरियन आईबेक्स जंगली बकरी की एक प्रजाति है और इसे ठंडे बस्तियों, चट्टानी बहिर्वाह, खड़ी इलाके, उच्च भूमि वाले फ्लैटों और पहाड़ की लकीरों से लेकर निचले पहाड़ों और तलहटी तक के विभिन्न आवासों में वितरित किया जाता है। हिमालयन आइबेक्स अर्थात साकिन भारत के हिमालय प्रदेश का एक प्रसिद्ध जंगली बकरा है।

मुख्य बिंदु

- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वालाहौल तथा स्पीति (हिमाचल प्रदेश) में आईबेक्स पर फील्ड सर्वेक्षण किया किया तथा इसके मल के नमूने एकत्र किये गए।
- आनुवंशिक विश्लेषण के परिणामों ने आश्चर्यजनक रूप से खुलासा किया साइबेरियन आईबेक्स की संरचना में प्लीस्टोसिन युग

(2.4 मिलियन वर्ष पहले) के दौरान परिवर्तन आया था न कि मायोसीन-प्लायोसीन (6.6 मिलियन वर्ष) युग के दौरान।

भारत में हिमालयन आईबेक्स

- भारत में आईबेक्स मुख्य रूप से लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के ट्रांस-हिमालय पर्वत श्रेणियों तथा हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी क्षेत्र तक पाई जाती है। इसकी काले घने बालों की 7-6 इंच लंबी शानदार दाढ़ी होती है। अन्य देशों के बकरों की अपेक्षा हमारे देश का साकिन आकार में भी बड़ा होता है और सींग भी उसके काफी बड़े होते हैं।
- इसे IUCN की लीस्ट कंसर्ड (Least Concerned) श्रेणी में रखा गया है।

3. उच्च प्रोटीन वाले बायो फोर्टीफाइड गेंहू का विकास

- भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त संस्थान अगहरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, (एआरआई) पुणे के वैज्ञानिकों ने एक तरह के गेहूं की बायो फोर्टीफाइड किस्म एमएसीएस 4028 बनायीं है, जिसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन है।
- ARI के वैज्ञानिकों, द्वारा बनाई गयी इस गेहूं की किस्म में लगभग 14.7% ज्यादा उच्च प्रोटीन है, बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ जिंक 40.3 पीपीएम है और लौह सामग्री 40.3 पीपीएम और 46.1 पीपीएम है।

विशेषताएं

- एमएसीएस 4028, जिसके विकसित होने की जानकारी इंडियन जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में प्रकाशित हुई थी, एक प्रकार की सेमी ड्वार्फ किस्म है, जो 102 दिनों में बड़ी होती है और जिसने 19.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की श्रेष्ठ और स्थिर उपज क्षमता दिखाई है। यह स्टेम रस्ट, फोलिअर अफिड्स, लीफ रस्ट, रुट अफिड्स और ब्राउन वीट माइट की प्रतिरोधी है।
- एमएसीएस 4028 किस्म को यूनिसेफ के विशेष कार्यक्रम के तहत उगाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुपोषण को मिटाना और 'विजन 2022' को बढ़ावा देना है। भारत के ग्रामीण इलाकों में अप्रत्यक्ष भूख को खतम करने के लिए और 'कुपोषण मुक्त भारत' हासिल करने के लिए परंपरागत तरीकों से पौधे बनाने की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- एमएसीएस 4028 को सेंट्रल सब कमिटी आन क्रॉप स्टैंडर्ड्स द्वारा अधिसूचित किया गया है। इंडियन कॉउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इस किस्म को 2019 की बिओफोर्टीफिएड केटेगरी में टैग किया है।

उपयोगिता

- गेहूं भारत में 6 अलग तरह के मौसमों में उगाया जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में गेहूं की खेती बारिश के मौसम और सीमित सिंचाई परिस्थिति में होती है। ऐसी स्थिति में फसल को नमी की मार झेलनी पड़ जाती है। यही कारण है की सूखा झेलने वाली फसलों की मांग ज्यादा है। इसी किस्म की फसलें जो अधिक पैदावार दें, जल्दी तैयार हों और जिनमें वर्षा के मौसम में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, ऐसी फसलों पर काम अगहरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे, जो आल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वीट एंड बार्ले इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, चल रहा है।
- इसका कोआर्डिनेशन इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रीसर्च करनाल जो की इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत है द्वारा चल रहा है।

4. जी 20 का वर्चुअल सम्मेलन

- हाल ही मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। यह वर्चुअल बैठक इसलिए खास रही क्योंकि इसका केंद्र बिंदु कोरोना वायरस से फैली महामारी थी। बैठक में अलग-अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। बैठक में इस पर जोर दिया गया कि इस महामारी के मानवीय और आर्थिक प्रभाव कैसे हैं और आगे इसके किस प्रकार के असर देखे जा सकते हैं। ज्ञातव्य है कि G-20 के वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता सउदी अरब ने किया। इस बैठक में सभी राष्ट्रध्यक्षों द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन डॉलर की सहयोग राशि जमा करने पर भी सहमति बनी।
- बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा उठाया और कहा कि आतंकवाद हो या जलवायु परिवर्तन, ऐसे मसलों पर ग्लोबलाइजेशन बहुत हद तक नाकाम रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 ने हमें अच्छा मौका दिया है कि हम ग्लोबलाइजेशन की नई अवधारणा पर विचार करें जिसमें आर्थिक व वित्तीय पहलुओं से इतर इंसानियत, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद पर भी फोकस किया जाए।
- बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस की महामारी की ओर सबका ध्यान खींचा। उन्होंने यह भी बताया कि इस महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के 90 फीसदी मामले और 88 फीसदी तक मौत जी-20 देशों में सामने आए हैं। जबकि सच्चाई है कि दुनिया की जीडीपी का 80 फीसदी हिस्सा और कुल आबादी का 60 फीसदी हिस्सा इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- वर्चुअल बैठक की शुरुआत में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ), संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रमुखों ने भी अपनी बात रखी। बैठक में फैसला लिया गया कि कोविड-19 को लेकर एक कार्रवाई पत्र (एक्शन पेपर) जारी किया जाएगा।

5. अर्थ ऑवर 28 मार्च 2020 को मनाया गया

- इस वर्ष "अर्थ ऑवर" 28 मार्च को सायंकाल को 8: 30 से 9: 30 बजे के बीच मनाया गया। इस अवसर पर विश्व भर में लोगों को एक घंटे के लिए गैर-आवश्यक उपकरणों की बिजली बंद करने का आवाहन किया गया था।

अर्थ ऑवर (Earth Hour) क्या है?

- अर्थ ऑवर को वर्ष 2007 में वर्ल्ड वाइड फण्ड फॉर नेचर द्वारा लांच किया गया था। यह एक पर्यावरणीय अभियान है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। आमतौर पर अर्थ ऑवर को मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। अर्थ ऑवर के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की जाती है।
- इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसकी शुरुआत साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। साल 2010 में ये दुनिया के 120 देशों में अपनाया गया था।

पृष्ठभूमि

2004 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलियाई लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन की ऑस्ट्रेलियाई शाखा और विज्ञापन एजेंसी लियो बर्नेट सिडनी के बीच एक विचार-विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें हुए विचार-विमर्श पर 2006 में "द बिग फ्लिक" नाम से एक ऐसे अभियान की रूपरेखा तैयार की गई जिसका उद्देश्य बड़े स्तर पर देश में बिजली के उपकरणों को बंद करना था। विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन की ऑस्ट्रेलियाई शाखा ने इस संकल्पना को "लॉर्ड क्लोवर मूर" और सिडनी के मेयर "फेयरफैक्स मीडिया" के सामने प्रस्तुत किया, जिन्होंने इस आयोजन के लिए सहमति प्रदान की थी। 31 मार्च, 2007 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे पहली बार अर्थ आवर (Earth Hour) का आयोजन किया गया थास हर वर्ष मार्च महीने में इसके बाद से पूरे विश्व में एक घंटे के लिए अर्थ आवर (Earth Hour) मनाया जाता है और बिजली के बल्बों को बंद कर दिया जाता है।

6. दुनिया 99.9 प्रतिशत जूनोटिक वायरस से अनभिज्ञ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 2018 में 10 रोगों की एक ऐसी सूची जारी की थी, जो महामारी पैदा कर सकते हैं। ये सभी वायरल बीमारियां थी। जीका, इबोला और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स-कोरोनो वायरस जनित) जैसे वायरस के अलावा, इस सूची में अज्ञात वायरस जनित डिजीज एक्स (बीमारी एक्स) का भी जिक्र था। अब ये माना जा रहा है कि कोविड-19 ही अज्ञात वायरस जनित डिजीज एक्स है। यह प्रकोप (कोविड -19) तेजी से महामारी चुनौती बनता जा रहा है जो डिजीज एक्स श्रेणी में फिट बैठता है।
- डब्ल्यूएचओ के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि उनकी डिजीज एक्स जानवरों से उत्पन्न होने वाली एक वायरल डिजीज होगी और ऐसी जगह पर उभरेगी, जहां आर्थिक विकास ने लोगों और वन्यजीवों को एक साथ जोड़ा है। प्रारंभिक अवस्था में इस बीमारी को लेकर भ्रम की स्थिति होगी। इसे अन्य बीमारी के रूप में समझा जा सकता है। लेकिन ये यात्रा और व्यापार के कारण जल्दी से पूरी दुनिया में फैल जाएगी। डिजीज एक्स का मृत्यु दर मौसमी फ्लू की तुलना में अधिक होगा और फ्लू की तरह ही आसानी से फैलेगा। यह महामारी बनने से पहले ही वित्तीय बाजारों को झकझोर देगा। वह कोविड -19 भी डिजीज एक्स है।"
- कोविड-19 के कारण हुई तबाही इस बात की भी तस्दीक करती है कि दुनिया को बेहतर ढंग से महामारी को समझने और प्रबंधित करने की जरूरत है।
- आरएनए वायरस कोविड-19 सहित सभी प्रमुख महामारियों का कारण बना है। उत्परिवर्तित और विकसित होने के अपने अंतर्निहित गुण के कारण, आरएनए वायरस भविष्य की महामारियों के कारण बन सकते हैं। 2011 से 2018 के बीच, 172 देशों में 1,483 महामारी की घटनाएं सामने आई। 60 फीसदी महामारी जूनोटिक (जानवर से इंसान में फैलने वाली बीमारी) थी, जिनमें से 72 प्रतिशत वन्यजीवों में उत्पन्न हुए थे। कोविड-19 के अलावा, डब्ल्यूएचओ ने 2020 के पहले 79 दिनों में 9 बीमारियों के फैलने की बात कही थी।
- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण मामले को बदतर बना रही है, क्योंकि ये वायरस को तेजी से उत्परिवर्तित होने में मदद करते हैं। इससे बीमारी के फैलने की दर बढ़ जाती है।
- स्कूल ऑफ एनवॉयारमेंट एंड बॉयोलॉजिकल साइंस, रटगर्स, द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू जर्सी की सहायक प्रोफेसर सियोबेन डफ्फी ने 2018 में पीएलओएस बॉयोलॉजी में लिखा कि आरएनए वायरस में उत्परिवर्तन दर अपने मूल स्त्रोत के मुकाबले लाखों गुना अधिक होती है। ये उच्च दर और अनुकूलन की क्षमता विषाणुओं के दुष्प्रभाव और हानिकारक प्रभाव को तीव्र करने में सहायक माने जाते हैं। वायरल रोग का नियंत्रण मुश्किल होता है और उनके बारे में सीमित ज्ञान इस चुनौती को और अधिक बढ़ा देता है।
- दशकों के अनुभव के बावजूद, वैज्ञानिक वह प्रभावी तरीका खोजने में पूरी तरह सफल नहीं है जिससे वायरल प्रकोप को रोका जा सके। गौरतलब है कि 1917-1918 में जब घातक स्पैनिश फ्लू का प्रकोप था, तब भी आज की तरह ही सामाजिक दूरी और स्कूल बंद करने जैसे आकस्मिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। ये तरीके तब भी काम नहीं करते थे और आज भी काम करते नहीं दिख रहे हैं। यहां तक कि साबुन से हाथ धोने को आज बहुत अधिक प्रचारित किया जा रहा है लेकिन यह भी उतना प्रभावी नहीं है, जितनी उम्मीद की जा रही थी।

- यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के शोधकर्ताओं ने पाया कि व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपाय, जैसे हाथ की स्वच्छता या फेस मास्क और पर्यावरणीय स्वच्छता जैसे उपाय भी इन्फ्लूएंजा के प्रसार को कम करने में मदद नहीं करते हैं। बढ़ते खतरे के बावजूद, हमारे पास वैश्विक निगरानी की व्यवस्था नहीं है जो संभावित महामारी के उद्‌भव पर नजर रख सके।
- 2018 में एक प्रोजेक्ट (ग्लोबल विरोम प्रोजेक्ट) लांच किया गया था। इसके तहत, अगले 10 वर्षों में उन सभी स्थानों को मिलाकर एक ग्लोबल एटलस विकसित करने की बात है, जहां प्राकृतिक रूप से जूनोटिक वायरस पाए जाने की संभावना है।
- आज वैज्ञानिकों के पास मनुष्यों को संक्रमित कर सकने वाले सिर्फ 260 वायरस की जानकारी है। यह संभावित जूनोटिक वायरस संख्या का महज 0.1 प्रतिशत ही है। यानी, दुनिया आज भी लगभग 99.9 प्रतिशत संभावित जूनोटिक वायरस से अनभिज्ञ है।

7. भारत और चीन के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए

भारत और चीन ने COVID-19 महामारी के कारण अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए निर्धारित सभी इवेंट्स को स्थगित कर दिया है। हालांकि दोनों देशों के नेताओं ने बधाई संदेशों का आदान-प्रदान किया।

मुख्य बिंदु

भारत एशिया का पहला गैर-साम्यवादी देश था जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। आज सीमा मुद्दों जैसी समस्याओं के बावजूद दोनों देशों के मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। 2019 में भारत-चीन व्यापार 90.1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया था। इसके अलावा, भारत चीन पर भारतीय दवाइयों और आईटी कंपनियों के लिए अपने बाजार खोलने का दबाव बना रहा है। यह चीन के साथ 57 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए किया जा रहा है।

अनौपचारिक शिखर सम्मेलन

- नवंबर 2019 में 70 साल के राजनयिक संबंधों की स्मृति को मनाने के लिए दोनों देश 70 गतिविधियों को अंतिम रूप देने के लिए सहमत हुए। यह निर्णय राष्ट्रपति शी जिंग पिंग और प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिया गया था। 70 प्रसिद्ध गतिविधियों में व्यापार संवर्धन कार्यक्रम, सैन्य आदान-प्रदान और सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां शामिल थीं।

भारत-चीन सहयोग

- भारत तथा चीन के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं के विभिन्न विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिये लगभग 50 संवाद तंत्र हैं।
- अब तक भारत और चीन के बीच होने वाला व्यापार 3 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 100 बिलियन डॉलर (32 गुना) हो गया है। वर्ष 2019 में भारत तथा चीन के बीच होने वाले व्यापार की मात्रा 92.68 बिलियन डॉलर थी।
- 2.7 बिलियन से अधिक लोगों के संयुक्त बाजार तथा दुनिया के 20% के सकल घरेलू उत्पाद के साथ, भारत तथा चीन के लिये आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग में व्यापक संभावनाएँ हैं। भारत में चीनी कंपनियों का संचयी निवेश 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- दोनों देशों ने कला, प्रकाशन, मीडिया, फिल्म और टेलीविजन, संग्रहालय, खेल, युवा, पर्यटन, स्थानीयता, पारंपरिक चिकित्सा, योग, शिक्षा और थिंक टैंक के क्षेत्र में आदान-प्रदान तथा सहयोग पर बहुत अधिक प्रगति की है।

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. कोरोनोवायरस से संक्रमित उच्च जोखिम वाले मामलों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा किस दवा की सिफारिश की गयी है?

-हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन

2. हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस ने हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता?

-एबेल पुरस्कार

3. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (MPLAD) योजना का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है?

-केन्द्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

4. केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस महामारी और लॉक-डाउन से लड़ने के लिए निर्धन लोगों की आर्थिक सहायता के लिए कौन सी योजना लांच की है?

-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

5. किस मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए 'Standed in India' पोर्टल शुरू किया है?

-पर्यटन मंत्रालय

6. वे दो देश जो कुरिल द्वीपसमूह विवाद से जुड़े हुए हैं?

-रूस और जापान

7. किस राज्य सरकार ने बच्चों के खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा महिलाओं के सहयोग से 'मदर्स' फॉर स्पोर्ट्स एण्ड फिटनेस' ऐप लॉन्च किया है?

-हरियाणा

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. सोशल डिस्टेंसिंग से क्या तात्पर्य है? कोरोना वायरस के संदर्भ में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।

2. संक्रामक रोगों को लेकर हमारी समझ में सुधार हुआ है, फिर भी हम महामारी के उभार से संबंधित सभी पहलुओं को पूरी तरह से नहीं समझ सके हैं। चर्चा कीजिए।

3. चुटका परियोजना का संक्षिप्त परिचय देते हुए, इस परियोजना से उत्पन्न विवाद के प्रमुख कारणों को बताइए।

4. उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना (उदय) क्या है? आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के आलोक में इस योजना की समीक्षा कीजिए।

5. कृषि में कौशल विकास की संभावनाओं की चर्चा करते हुए इसके मार्ग में उपस्थित चुनौतियों का उल्लेख करें।

6. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि नक्सलवाद का जन्म विषमता से हुआ है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देने के साथ-साथ इस समस्या से निपटने के उपायों को भी बताएँ।

7. कच्चे तेल के मूल्य में वर्तमान में भारी गिरावट देखी जा रही है, तेल की गिरती कीमतों से भारत जैसे देशों को क्या लाभ प्राप्त होगा? चर्चा कीजिए।

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ

1. विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अँधा हो जाता है तो वह मर जाता हैं।

-महात्मा गांधी

2. संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है।

-जवाहरलाल नेहरु

3. जीवन अपना आधा प्रभाव खो देता है अगर कोई संघर्ष न हो-अगर कोई जोखिम न उठाना पड़े।

-सुभाष चंद्र बोस

4. "इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम के औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है।"

-भगत सिंह

5. कट्टरता सच को उन हाथों में सुरक्षित रखने की कोशिश करती है जो उसे मारना चाहते हैं।

-रबिन्द्रनाथ टैगोर

6. अविश्वास से विश्वास करना बेहतर होता है। ऐसा करने से आप प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की संभावनाओं के निकट हो जाते हैं।

-अल्बर्ट आइंस्टीन

7. इस मिट्टी में कुछ अनूठा है, जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है।

-सरदार वल्लभ भाई पटेल

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Guiding Generations
towards making a better India

उपलब्ध कार्यक्रम

कक्षा कार्यक्रम : प्रीमियम बैच, मेंस बैच, फोकस बैच, सीसैट बैच एवं वैकल्पिक विषय

अन्य कार्यक्रम : ऑल इंडिया टेस्ट सीरिज, क्रैश कोर्स, साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम (इंटरव्यू गाडेंस प्रोग्राम), पीएमआई (PMI) एवं स्टूडेंट पोर्टल

उड़ान : उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल (10+2) के ठीक बाद छात्रों के सामर्थ्य को संचार एवं परामर्श के माध्यम से समग्र रूप से सशक्त करना।

प्रवेश प्रारम्भ
नया सत्र: 2020-21
बैच आरम्भ: अप्रैल-मई 2020
अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित केंद्र पर संपर्क करें
or
Logon to : www.dhyeyaias.com
or
Call: 011-49274400

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068 , **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 9506256789, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA** 0120 4254088 | 9205336037, 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR : BIHAR SHARIF – 9507021386, PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJRAT** : AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA** : HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH** : GWALIOR -9993135886, 9893481642 , JABALPUR - 8982082023, 8982082030, REWA – 9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA** : MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB** : PATIALA - 9041030070 , LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN** : JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND** : HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH** : ALIGARH – 9837877879, 9412175550 , AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, BIJNOR- 8126670981, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962 , LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221 , VARANASI - 7408098888

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

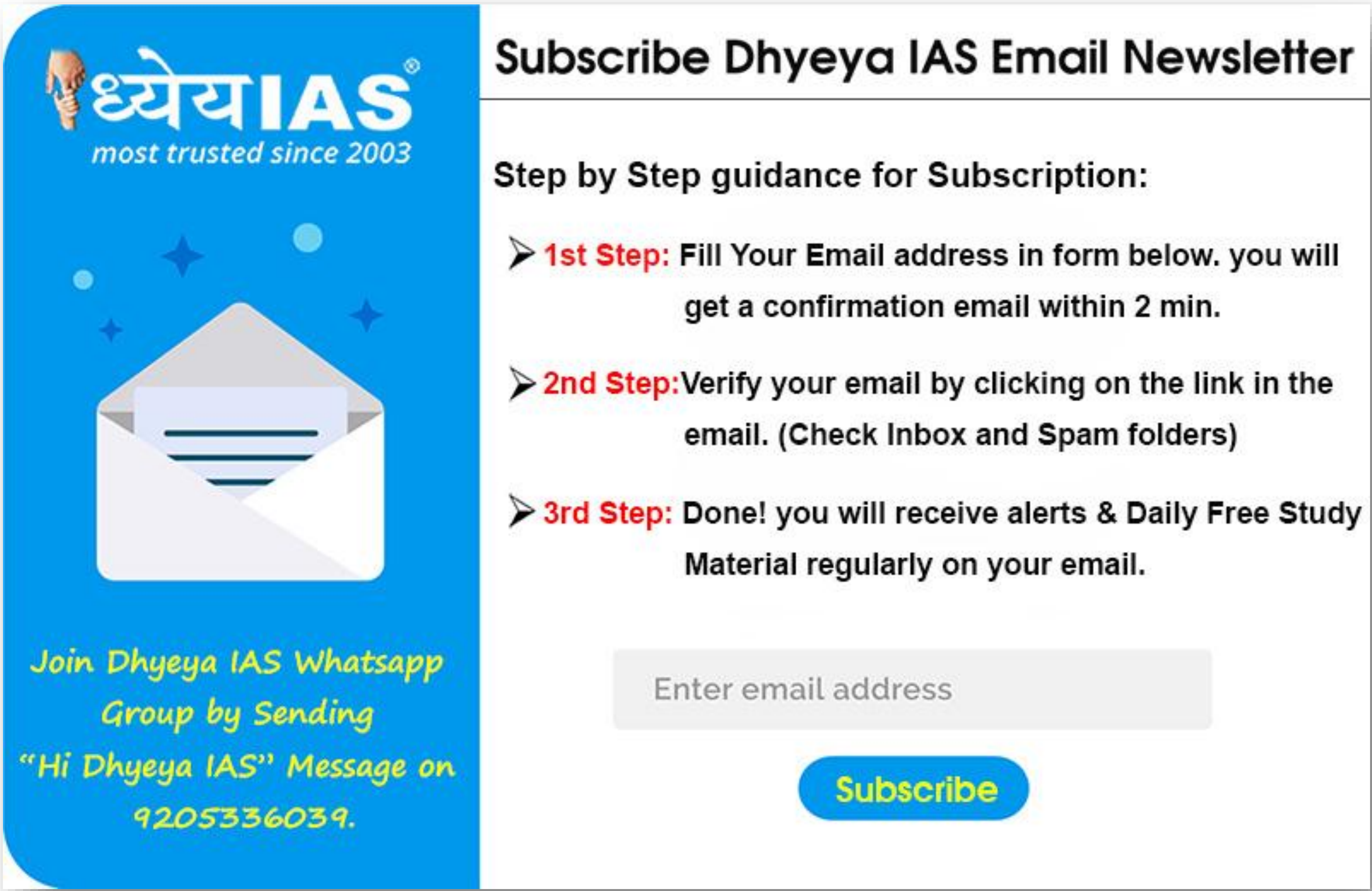

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400